आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब
अप्रैल 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

कृषि की राह में कॉरपोरेट के कांटे

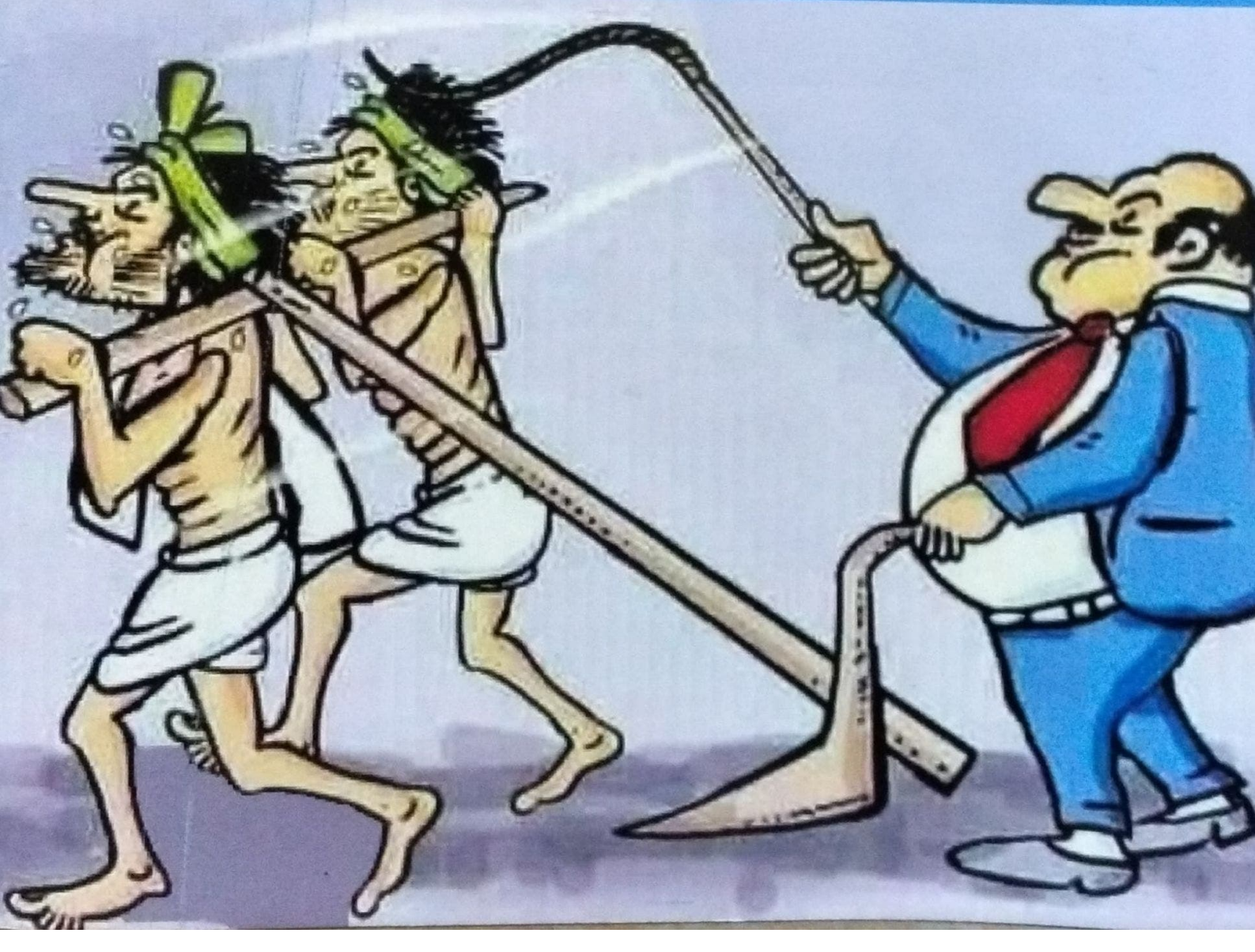

अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान ,
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि

एक प्रति 30/- रु०	एक वर्ष 350/- रु०
दो वर्ष 670/- रु०	तीन वर्ष 950/- रु०
चार वर्ष 1200/- रु०	पांच वर्ष 1400/- रु०

आजीवन रु० 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न०
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
ASILA OFFSET PRINTERS
1299, KALAN MAHAL,
NEW DELHI-110002

संपादक : शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 10 अप्रैल 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
रमज़ान : ईश्वर से अगाध प्रेम का सुहाना मौसम
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
विज्ञान, धर्म और समाज का त्रिकोण
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

सौंदर्य बोध 11
यह समय भी कट जाएगा
तबाना नूरी

मुख्य स्तंभ 15
कृषि की राह में कॉरपोरेट के कांटे
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 18
खेती पर ख़तरे से आगाह कर रहे हैं किसान
शशिकांत त्रिवेदी

समाधान 21
संरक्षण भरपूर आशंकाएं निर्मूल
संपादन प्रभाग

कविता 24
किसान
मैथिलीशरण गुप्त

मंथन 25
बाल श्रम के बदलते स्वरूप
जितेंद्र गौतम

सरोकार 28
दवा को, इलाज की दरकार
डॉ. प्रदीप कुमार

विशेष 31
रोज़े का आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व
मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

महिला जगत 35
महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण
प्रो. शेख़ मोईन शेख़ नईम

इबारत 39
महान राजनीतिक विचारक अल-फ़राबी
संपादन प्रभाग

सेहत 41
ऐसे करें मधुमेह पर वार
संपादन प्रभाग

करियर 43
कामयाबी के लिए करियर प्लानिंग
संपादन प्रभाग

कहानी 45
मेरा बेटा
विष्णु प्रभाकर

आख़िरी पन्ना 49
आध्यात्म की अन्तिम पुस्तक
वी गोर्डविन चाइल्ड

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

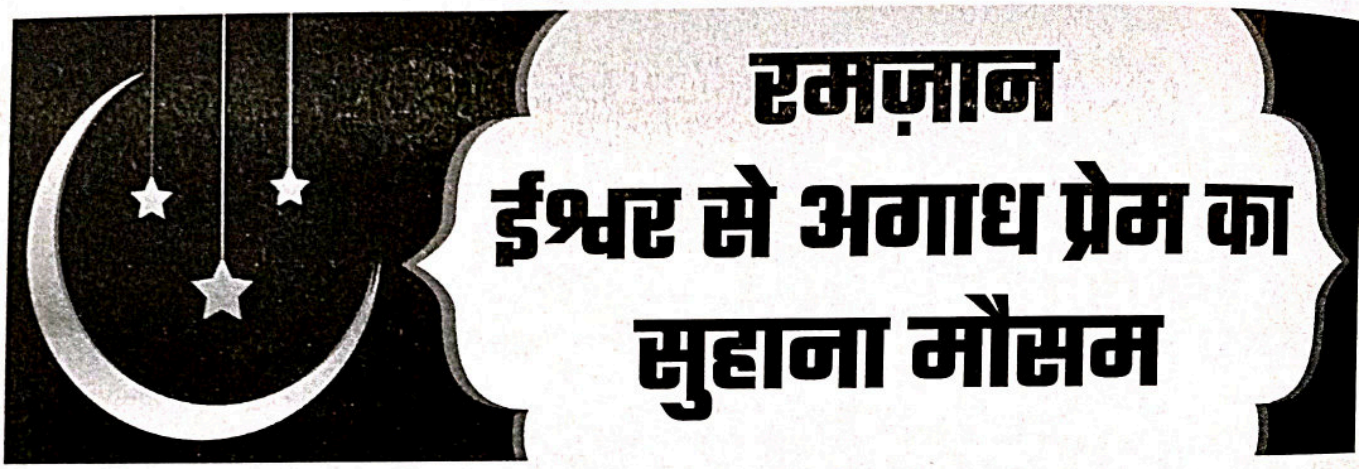

रमज़ान ईश्वर से अगाध प्रेम का सुहाना मौसम

रमज़ान क्या है?

ईश्वर से टूट कर प्रेम करने का मस्ताना मौसम!

उसकी मुहब्बत में, उसके हुक्म पर घंटों भूखे-प्यासे रहना, उच्च चारित्रिक गुणों के साथ छोटी बारीक इंसानी कमज़ोरियों पर भी कड़ी निगाह रखते हुए पूरे तीस दिन गुज़ारना, आत्मिक शांती और आध्यात्मिक सौंदर्यबोध (aesthetics) से आनंदित होने का कितना सुहाना मौसम है ये।

टूट कर अपने जैसे किसी इंसान से प्रेम नहीं किया जा सकता।अपने जैसे इंसानों से प्रेम बौद्धिकता से ख़ाली हो ही नहीं सकता। हम अपनों से 'बौद्धिक प्रेम' करते हैं, अपना लाभ-हानि कैलकुलेट करते हुए। बौद्धिकता से आगे केवल ईश्वर से टूट कर प्रेम किया जासकता है। मुहब्बत तो आत्म-समर्पण है, हम अपने जैसे इंसान के सामने कैसे समर्पित हो जाएं! ये तो आत्म-प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। एक प्रतिष्ठित आदमी किसी इंसान से टूट कर प्रेम का इज़हार नहीं कर सकता। इंसान के सामने कैसे टूट जाएं! यही वो बात है जो क़ुरआन में यूं कही गयी है "मोमिन अर्थात ईश्वर-भक्त केवल अल्लाह से शदीद मुहब्बत करता है"।

किसी तरह चंद घंटे भूख-प्यास बर्दाश्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अभ्यास के लिए रमज़ान नहीं आता। भूखे-प्यासे रहते हुए ईश्वर के लिए हम उन निगेटिव जज़्बों को कितना लगाम दे पाते हैं, जो एक ज़िम्मेदार संवेदनशील इंसान (मुत्तक़ी) बनने की राह में रुकावट हैं, इसका अभ्यास है रोज़ा। इसकी जांच के लिए आता है रमज़ान! मुत्तक़ी यानी एक ज़िम्मेदार-संवेदनशील इंसान बनकर ज़िंदगी गुज़ारना, ये है दुनिया के लिए ईश्वरीय मंशा।

इसलिए भूखे रहते हुए शऊर (चेतना) को बेदार रखना बहुत ज़रूरी है, बेहिस भूखे-प्यासे पड़े रहने और वक़्त-गुज़ारी से कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया 'जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं'।

जब हम भूखे-प्यासे होते हैं तो हमारी रचनात्मकता और

संवेदनशीलता बढ़ जाती है, थोड़े ध्यान के साथ अभ्यास करने से हम आसानी से रमज़ान का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। रमज़ान का लक्ष्य-'तक़्वा' है। तक़्वा यानी मुत्तक़ी इंसान की ख़ूबी....मुत्तक़ी यानी ख़ुदा का ज़िम्मेदार व संवेदनशील बंदा...। जीवन में ये संवेदनशीलता ईश्वर से अगाध प्रेम ही से मुम्किन है। इस तरह रमज़ान, जीवन के प्रति संवेदनशीलता और ईश्वर से प्रेम का परस्पर गहरा संबंध है।

ईश्वर से प्रेम का रास्ता ज्ञान है।

ज्ञान प्रेम के लिए रास्ता बनाता है। आप उससे प्रेम नहीं कर सकते जिसके बारे में आप जानते नहीं। इसलिये ईश्वर से प्रेम करने से पहले उसका ज्ञान आवश्यक है। ईश्वरीय वाणी क़ुरआन हमें हर चैप्टर में ईश्वर का ज्ञान देता है, और इस ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर ईश्वर से प्रेम की चिंगारी सुलगाता है। क़ुरआन के सुरः अल-बक़रा में कहा गया है"...और तुम्हारा पूज्य (ईश्वर) एक ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, अत्यंत दयावान्, असीम दयालु है। निःसंदेह आकाशों और धरती की रचना तथा रात और दिन के बदलने में, तथा उन नावों में जो लोगों को लाभ देने वाली चीज़ें लेकर सागरों में चलती हैं, और उस पानी में जो अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा मृत धरती को पुनः जीवित कर दिया और उसमें हर प्रकार के जानवर फैला दिए, तथा हवाओं को फेरने (बदलने) में और उस बादल में, जो आकाश और धरती के बीच वशीभूत किया हुआ है, (इन सब चीज़ों में) उन लोगों के लिए बहुत-सी निशानियां हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं।" (2:163,164) इसी सुरः अल-बक़रा की आयत न०-28, 29 में क़ुरआन कहता है कि "तुम ईश्वर का इन्कार कैसे करते हो? जबकि तुम निर्जीव थे, तो उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वह तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें (परलोक में) जीवित करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। वही है, जिसने धरती में जो कुछ है, सब तुम्हारे लिए पैदा किया...."

रमज़ान का ये महीना क़ुरआन के धरती पर नाज़िल होने का महीना भी है। अतः ईश्वर से प्रेम का ये मौसम क़ुरआन से जुड़कर ज्ञानात्मक संवेदना पैदा करता है।

रमज़ान, क़ुरआन-उत्सव का महीना है। क़ुरआन पढ़कर तो देखिए कि कैसी विस्मयकारी किताब है ये। ज्ञानात्मक संवेदना और दार्शनिक सौंदर्य-बोध से ओत-प्रोत मानवता के नाम एक जीवंत संदेश है क़ुरआन। ईश्-प्रेम की दावत से लबरेज़ क़ुरआन आशाओं व उम्मीदों की ज्योत जगाने वाली किताब है। क़ुरआन खोलते ही पहले चैप्टर 'सूरः फ़ातिहा' का पहला शब्द है 'अलहम्दुलिल्लाह' जिसका अर्थ है 'शुक्र है अल्लाह का'। शुक्र यानी कृतज्ञता का जज़्बा इंसान को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचाता है और मन में आशाओं के दीप जलाता है, वो दीप जिससे मानव जीवन में दीप से दीप जलने की अनंत श्रृंखला शुरू हो जाती है।



तो आयें इस महीने क़ुरआन के अध्ययन की रोशनी में हम ईश्वर से मुहब्बत का चिराग़ रोशन करें। ऐसा चिराग़ जो अज्ञानता, नफ़रत और उन्माद के घटाटोप अंधियारे को काफ़ूर कर दे। ■■

अपील

दर्सगाह इकरा हा० से० स्कूल राँकई
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर (म०प्र०)

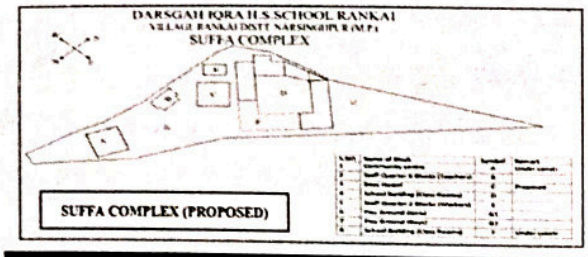

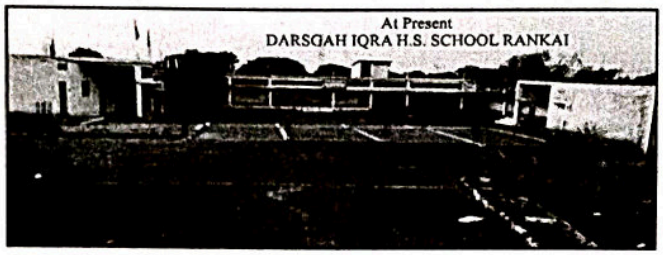

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मध्य प्रदेश की मशहूर तालीमगाह

31 सालह खिदमात तालीमी मराहिल दर्जा नर्सरी से 12वीं (कॉमर्स, साइंस) एम.पी बोर्ड ऑफ सेकेंण्डरी एजुक्शन एकजामिनेशन हर साल का सद फीसद 100% रिजल्ट शोबा-ए-नाज़रह बराए तलबा व बालगात मर्द व ख्वातीन के लिए अलग दीनी व असरी लाइब्रेरी स्टडी सेन्टर हॉस्टल (प्रस्तावित) जकात मद के तहत एक जरूरतमंद तालिबे इल्म पर सालाना फीस छः हज़ार से पंद्रह हजार तक (Rs. 6,000 – 15,000) रुपये। 30 जरूरतमंद तलबा जिनकी सारी फीस जकात मद और साहबे खैर हजरात के तअवुन से दी जाती है। जारिया-ए-आमदनी तलबा की फीस तअवुन की शक्लें ज़कात, अतियात, सदक़ात, पैदावार की ज़कात, किसी बुजुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वगैरह। मुस्लिम अवाम के चन्दे आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तअवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज़्र-ए-अज़ीम हासिल करें।

इदारे की खूबियाँ

1. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक उर्दू माध्यम और 9वीं से कक्षा 12वीं तक हिन्दी माध्यम प्रत्येक वर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कैम्प ।
2. पुरफ़िज़ा मक़ाम पुरसुकून महौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम खर्च में मध्य प्रदेश बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम।
3. कक्षाएं दो अलग अलग इमारतों में तीन शिफ्टों में संचालित की जाती है। प्रत्येक शिफ्ट में शिक्षकों के लिए रोजाना १० मिनिट नैतिक शिक्षा ।
4. इदारा *CSR* एवं *80G (10A)* में रजिस्टर्ड है जिसके सबब शासकीय नियमानुसार सोसायटी को राशि (अयानत) देने पर तअवुन करने वाले को इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान है।

CSR रजिस्ट्रेशन नम्बरः- **SRN – F65329526**
80G (10A) रजिस्ट्रेशन नम्बरः- **AAAA13009AF20231**

इदारा आप से फराखदिलाना तआवुन की अपील करता है
साहिबे खैर हज़रात नीचे लिखे बैंक खाता में माली मदद कर सकते हैं

Bank:- **Central Bank of India Kareli**
A/C Name:- **IQRA TALIMI IDARA ABDUL RAIS**
Bank A/c No:- **5191949123**
Bank IFSC Code:- **CBIN0281005**

Contact Us
9893558853, 9131089255, 8109090665
www.darsgahiqrarankai.org

जरूरतः- इदारे को एक सफीर की जरूरत है जरूरतमंद हजरात राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रमजान से पहले पोस्टिंग हो जाएगी।

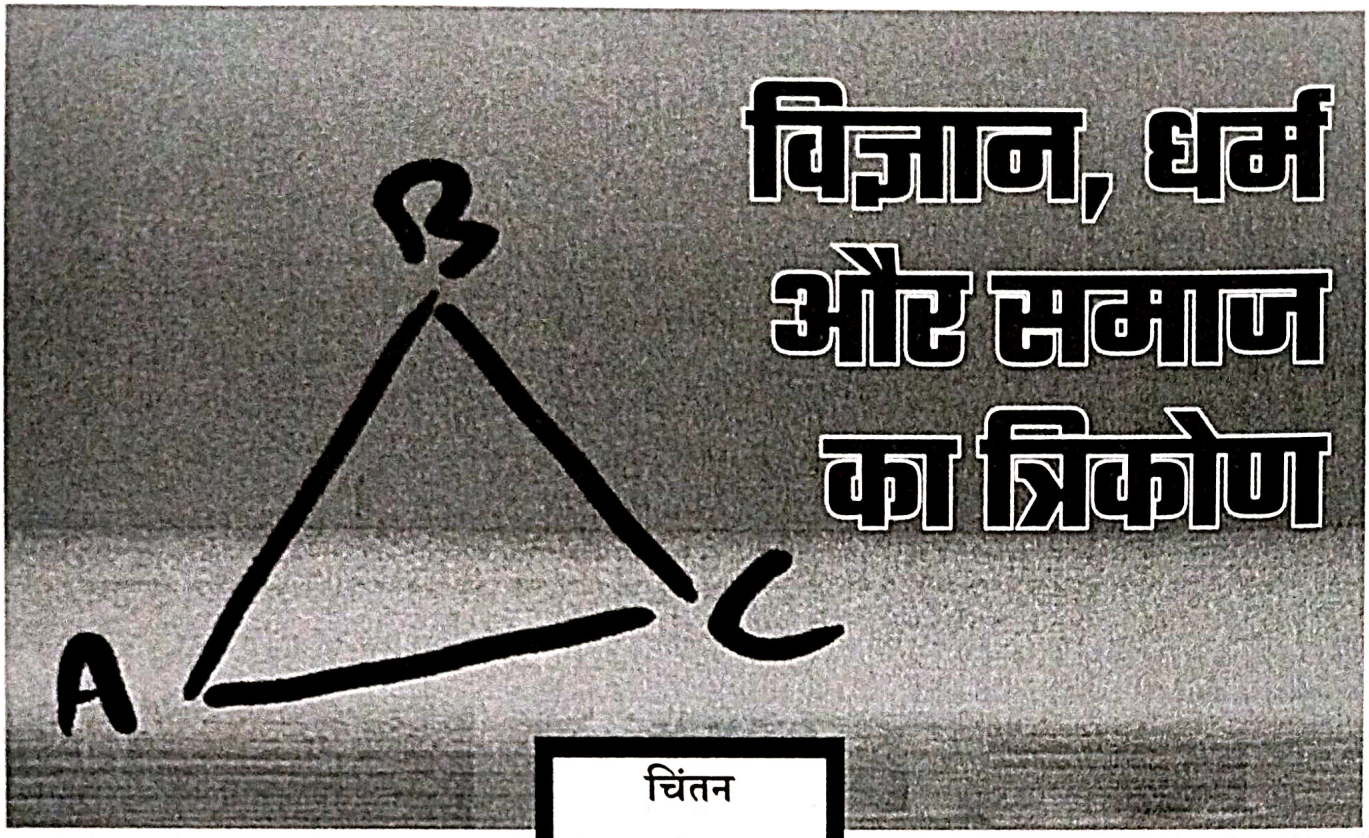

विज्ञान, धर्म और समाज का त्रिकोण

चिंतन



डॉ. मुहम्मद रिज़वान

बुद्धि और विज्ञान की अपनी सीमाएं निश्चित हैं। विज्ञान 'कैसे' का जवाब है, 'क्यों' का नहीं। विज्ञान जड़ और चेतन सभी में 'कैसे' से जुड़े सवालों का जवाब है। यह 'क्यों' का भी जवाब है, लेकिन पूरा नहीं। 'क्यों' का जवाब हासिल करते-करते विज्ञान एक विशेष स्तर तक जाकर रुक जाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा अन्य ग्रह-नक्षत्र ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये इसलिए घूम रहे हैं, क्योंकि वे सभी एक निश्चित प्रणाली के तहत गुरुत्वाकर्षण में बंधे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्यों घूम रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण क्यों है? यहां विज्ञान मौन हो जाता है। (हालांकि इसके जवाब भी तलाश किए जा रहे हैं) इसे एक अन्य उदाहरण से समझा जा सकता है। पूरे जगत में पन्द्रह "स्थिरांक"(constants) हैं, जिनमें से गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी एक है। ये पन्द्रह स्थिरांक जैसे हैं वैसे ही हैं, अर्थात् यदि इनमें तनिक भी परिवर्तन किया जाए तो ब्रह्माण्ड की गणितीय व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर किसी भी एक स्थिरांक में परिवर्तन किया जाए तो पूरा का पूरा गणितीय मॉडल छिन्न-भिन्न हो जाएगा। इसलिए ये सभी पंद्रह स्थिरांक गणितीय प्रणाली में "कैसे" फिट हैं, इसका तो स्पष्टीकरण मौजूद है, लेकिन वे वैसे ही "क्यों" हैं? जैसे की वे हैं, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गुरुत्वाकर्षण का एक अरबवां हिस्सा भी कम होता हो तो तारों और क्षुद्रग्रहों का निर्माण ही संभव न होता। यदि यह इतनी ही मात्रा में अधिक शक्तिशाली होता, तो बिग बैंग के बाद बिग क्रंच हो जाता (अर्थात् ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते ही नष्ट भी हो जाता)।

ठीक यही बात शेष चौदह स्थिरांकों के बारे में भी कही जा सकती है, जो कि पदार्थ और ब्रह्माण्ड से संबंधित अनेक अंतःक्रिया के समीकरणों (equations of interaction) में ज़रूरी होते हैं। उदाहरण के लिए, पाचन तंत्र में भोजन के कणों से ग्लूकोज के अधिग्रहण से लेकर मंगल और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया तक।

ये स्थिरांक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, इसके लिए सभी समीकरण हमारे पास हैं, लेकिन उनका संख्या बल एक समान "क्यों" है? जो है! इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

विज्ञान क्या है? इस सवाल के तकनीकी जवाब को छोड़कर यह समझना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या नहीं है। "विज्ञान क्या नहीं है?" इस सवाल का जवाब वह सभी सीमाएं तय कर सकती हैं, जिनकी पामाली की वजह से धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष के नैरेटिव सेट हुए। विज्ञान एक पद्धति है, यह "अंतिम स्थिति" नहीं है। यह अवलोकन, परीक्षण एवं निष्कर्ष का त्रिकोण है।

विज्ञान सही और ग़लत, अच्छाई

और बुराई की चर्चा नहीं करता। इसीलिए विज्ञान को मूल्यों के मामले में निरपेक्ष (value neutral) होना चाहिए। यानी सैद्धांतिक रूप से इसे अच्छाई और बुराई के सभ्यतागत मानकों से अलग होना चाहिए। अतः विज्ञान को अच्छाई और बुराई, सही और ग़लत के मानक के लिए ज़िम्मेदार ठहराना एक अवैज्ञानिक और अनुचित रवैया है।

इसी सिद्धांत के तहत विज्ञान को वैज्ञानिक के धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक पक्षपात से परे माना जाता है। हालांकि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह संभव नहीं है। ज़मीनी परिस्थिति में वैज्ञानिक अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत परिदृश्य से प्रभावित होता है। इन परिदृश्यों से वैज्ञानिकों का शोध प्रभावित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए विज्ञान में दृढ़तापूर्वक यह बात कही जाती कि विज्ञान को मूल्यों से मुक्त होना चाहिए। इस आदर्श स्थिति को बनाने के लिए विज्ञान, वैज्ञानिक प्रयोग और इन प्रयोगों से प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुमानों और निष्कर्षण पर उचित नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) लागू करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या ये संभव है? विज्ञान के इतिहास का अध्ययन, जो कि अब बाक़ायदा एक ज्ञान की शाखा बन चुकी है, बताता है कि ऐसा अतीत में भी संभव नहीं हो पाया और आज भी संभव नहीं है।

विज्ञान का इतिहास हमें बताता है कि वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति की खोज संयोगवश नहीं की है, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेष युद्ध कौशल और युद्धों को जीतने के लिए सैन्य शक्ति और हथियारों की घातकता में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष पूंजी उपलब्ध कराई गई ताकि वे शोध करके इसे संभव बनाएं, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा के रहस्यों से पर्दा उठा और मानव इतिहास शर्मसार हुआ।

ठीक इसी प्रकार डार्विनवाद तथा अन्य संबंधित सिद्धांतों को समझा जा सकता है। चर्च के अत्याचार ने पूरे यूरोप और पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्से को बुरी तरह प्रभावित किया। बाइबिल के अनुयायी जिनके पास राजनीतिक शक्ति भी थी, वे बाइबिल में दिए गए विषयों को उनके शाब्दिक अर्थों में ही समझना चाहते थे। उदाहरण के लिए, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी ब्रह्माण्ड का केंद्र है, पृथ्वी घूमती नहीं आदि। जबकि वैज्ञानिक शोध किसी दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। इस कारण से विज्ञान और चर्च के बीच रस्साकशी शुरू हो गई, जिसके आवश्यक प्रभाव उस दौर के विकसित होते विज्ञान में देखा जा सकता है। इसलिए विज्ञान के बारे में 'धर्म विमुख' या 'धर्म-विरोधी' जैसे आख्यान इसी युग की देन हैं।

उपरोक्त बातें तीन प्रमुख आख्यानों को जन्म देती है। वह ये हैं-

- विज्ञान अंतिम स्थिति तक पहुंचने का रास्ता है, यह अंतिम स्थिति नहीं है। विज्ञान तथ्यों की व्याख्या केवल एक निश्चित सीमा तक ही कर सकता है, यह स्वयं के वास्तविक होने का दावा नहीं करता।
- विज्ञान अपने आप में स्थायी नहीं है। वह विकसित हो रहा है। अपने सिद्धांत, अपनी विधियों, अपने अनुमानों और अपने सभी पहलुओं के साथ।
- विज्ञान शाश्वत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, लेकिन ये उत्तर सापेक्ष होते हैं और एक विशिष्ट ढांचे पर निर्भर करते हैं। इसलिए, विज्ञान धर्मों की शैली में दिए गए उत्तरों का विकल्प नहीं है। (बावजूद इसके इन शाश्वत प्रश्नों के जो उत्तर धर्म देता है वह मानवीय बुद्धि के विरुद्ध हैं कि नहीं!)

अतः यह बात स्पष्ट हुई कि विज्ञान, धर्म और समाज की बहस में विज्ञान को धर्म बना लेना एक बड़ी ग़लती है, जो प्राचीन वैज्ञानिकों से कम और आधुनिक वैज्ञानिकों से अधिक हुई है। इसी प्रकार, नास्तिकता के लिए विज्ञान से तर्क लाना और धार्मिक सत्यों (जिन पर दृढ़ विश्वास होता है) के लिए विज्ञान से तर्क लाना दोनों ही व्यर्थ है। ये दोनों

विज्ञान क्या है? इस सवाल के तकनीकी जवाब को छोड़कर यह समझना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या नहीं है। "विज्ञान क्या नहीं है?" इस सवाल का जवाब वह सभी सीमाएं तय कर सकती हैं, जिनकी पामाली की वजह से धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष के नैरेटिव सेट हुए। विज्ञान एक पद्धति है, यह "अंतिम स्थिति" नहीं है। यह अवलोकन, परीक्षण एवं निष्कर्ष का त्रिकोण है।

विज्ञान, धर्म और समाज की बहस में विज्ञान को धर्म बना लेना एक बड़ी ग़लती है, जो प्राचीन वैज्ञानिकों से कम और आधुनिक वैज्ञानिकों से अधिक हुई है। इसी प्रकार, नास्तिकता के लिए विज्ञान से तर्क लाना और धार्मिक सत्यों (जिन पर दृढ़ विश्वास होता है) के लिए विज्ञान से तर्क लाना दोनों ही व्यर्थ है। ये दोनों प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से सापेक्षिक उत्तरों की ओर ले जाती हैं।

प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से सापेक्षिक उत्तरों की ओर ले जाती हैं।

सभी धर्मों के अनुयायी अपनी-अपनी पुस्तकों की सच्चाई के लिए विज्ञान से तर्क लाते हैं। यह सामान्य धार्मिक चेतना पर विज्ञान की जीत और वर्चस्व का प्रतीक है। वह वर्चस्व जिसका विज्ञान ने कभी दावा नहीं किया है। वह वर्चस्व जिसे विज्ञान पर थोप दिया गया है। और यह आधुनिक नास्तिकों (new atheist) का कारनामा है। आधुनिक नास्तिकों ने बड़ी चालाकी से नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया है! चाहे वह रिचर्ड डॉकिन्स हों या क्रिस्टोफर हिचेस, डैनियल डेंट हों या सैम हैरिस, इन सभी ने मूल रूप से विज्ञान के ऐसे आख्यान (narrative), जिसमें असहमति की गुंजाइश मौजूद है और जिनकी सापेक्षता पर बहुत सारे शोधकर्ता सहमत हैं, इनको धर्म के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। अतः इस तरह के आख्यानों ने आधुनिक पीढ़ी को बुरी तरह प्रभावित किया है। क्योंकि डार्विन का सिद्धांत यही कहता है कि जो बेहतर (Compete) करेगा वही जीवित रहेगा। उसे ही प्राकृतिक संसाधनों (Resouries) और उत्तरजीविता (Survival) की गारंटी मिलेगी। और विज्ञान के इन्हीं आख्यानों का इस्तेमाल बहुत सारी सरकारी नीतियों को सही ठहराने के लिए भी किया जाता है।

उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्धा में, यदि किसी को रौंद कर आगे बढ़ना भी पड़ जाए तो यह ठीक है, क्योंकि जीवित रहने के लिए यह ज़रूरी है! यह भी समझना ज़रूरी है कि आधुनिक समय में नास्तिकता (Atheism) एक प्रोजेक्ट है। इसकी अपनी गतिशीलताएं (Dynamics) हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह नास्तिक लोग धार्मिकता को एक प्रोजेक्ट बताते हैं। विज्ञान का इस्तेमाल दोनों प्रोजेक्ट्स में होता है। (यदि हम नास्तिकों के आरोपों को सही मानें तो भी और न मानें तो भी) इसी तरह साधनों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए अगर

Read & Gift the Copies

UNVEILING THE PALESTINIAN STRUGGLE

By Syed Sadatullah Hussaini

Price ₹ 40.00
Minimum order should be for 3 copies @ ₹125.00
(including Regd. Postal Charges)

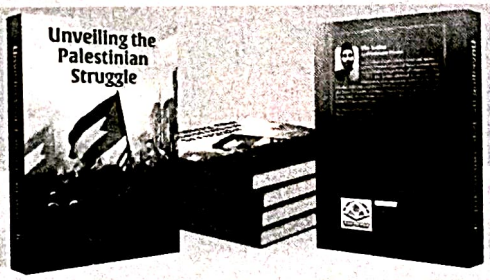

SIZE: 20x30 / 16 PAGES: 40 PRICE: 40

SCAN & PAY

Please Pay By Scanning this QR code and send your payment details along with your postal address to:
Mr. Khalid Nadeem, Manager @ 9990862029 / 01171217923

Bank Details
A/c Name: The Board of Islamic Publications
Account No.: 964385450 Bank Name: Indian Bank
Branch: Jamia Milia Islamia, New Delhi - 110025
IFSC Code: IDIB000J029 | Swift No.: IDIBINBBMAS

Order your copy now from:

The Board of Islamic Publications
D-307A, Abul Fazl Enclave Jamia Nagar, New Delhi – 110 025
Telephone: 011-26971423, 011-71218923,
Web: www.radianceweekly.net, E-mail: radianceweekly@gmail.com

अन्य मनुष्यों के साथ कमी-बेसी हो जाती है तो जीवित रहने की दौड़ में यह उचित है। दिलचस्प बात यह है कि यही विज्ञान जैविक परोपकारिता (biological altruism) की भी बात करता है, लेकिन इसकी ओर कम ध्यान दिया जाता है। जैविक परोपकारिता का अर्थ यह है कि कुछ जीवों की यह जैविक विशेषता यह है कि वे अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए अपने हितों का त्याग कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जानवर अपने शिकार को अन्य जानवरों के साथ मिलकर खाते हैं, आदि। यह कोई मामूली बात नहीं है, विज्ञान, धर्म और समाज के त्रिकोण का हर कोण मानव सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए अपरिहार्य है। इसका एहसास सभी गंभीर विज्ञान के विशेषज्ञों को रहा है। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध कथन किसे याद नहीं है कि-

'Science without religion is lame and religion without science is blind.'

"धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है।"

आइंस्टीन के इस कथन पर तमाम तरह की बहसें हैं। नास्तिक लोग इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और ईसाई धर्मावलंबी अपने ढंग से। इसके प्रसंग व संदर्भ पर भी चर्चा होती है, लेकिन यह तय है कि आइंस्टीन जिस धर्म की बात कर रहे हैं वह ईसाई धर्म तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ईसाई धर्म की व्याख्या में स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच के लिए कई सैद्धांतिक कठिनाइयां हैं। इसलिए विज्ञान, समाज और धर्म के त्रिकोण में उन दायरों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन तीन आयामों विज्ञान, धर्म और समाज को क़ैद किया जा सके। इन दायरों की सही व्याख्या के बिना, इन तीनों के सहयोग और इनसे निकले निष्कर्षों के प्रभावों को नहीं समझा जा सकता। इसके साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान, धर्म और समाज के इस त्रिकोण में मौजूद प्रत्येक आयाम (dimension) के विकास की प्रक्रिया को ध्यान से समझा भी जाए और इस बात को माना भी जाए कि इनमें का प्रत्येक आयाम विकसित हो रहा है। इसलिए जब धर्मों की बात हो तो यह देखना भी ज़रूरी हो जाएगा कि धर्म विकसित हो रहे हैं या नहीं? या धर्म विकसित हो सकते हैं

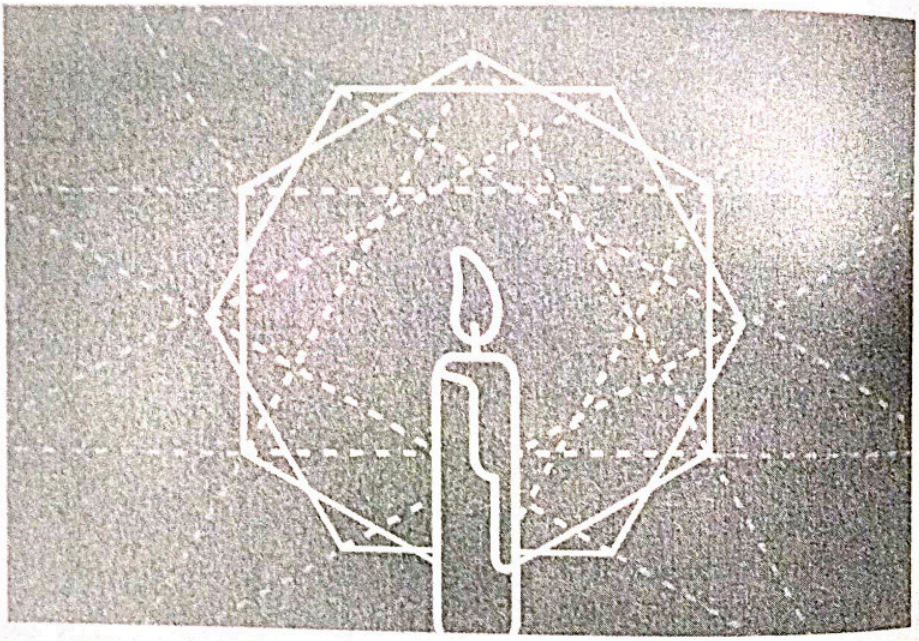

या नहीं? यदि धर्म विकसित हो रहे हैं, तो क्या वे सैद्धांतिक रूप से भी विकसित हो रहे हैं? क्या इनके मूल सिद्धांत भी विकसित हो रहे हैं। क्या उनके मूल सिद्धांतों से संबंधित अवधारणा और इन सिद्धांतों की व्याख्या में विकास हो रहा है?

निम्नलिखित बिंदु देखें और इस बात पर भी विचार करें कि विज्ञान ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके किस तरह इन सवालों के जवाब दिए-

• क्या ईश्वर की ईसाई अवधारणा और ईश्वर की इस्लामी अवधारणा में विकास हुआ है? (विज्ञान के अनुसार ईश्वर की अवधारणा बहुदेववाद से एकेश्वरवाद तक पहुंचती है।)

• क्या धर्म के निकट अच्छाई और बुराई की अवधारणा (conception) में कोई विकास हुआ है? (विज्ञान के अनुसार, अच्छाई और बुराई सापेक्षात्मक है, जो वातावरण में फिटनेस (fitness) पाने के एतिबार से बदलती रहती है। इसलिए शाश्वत बुराई या शाश्वत अच्छाई या पूर्ण अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।)

• क्या ईसाई ट्रिनिटी (trinity) की व्याख्या में विकास हो रहा है या हुआ है?

• इस्लाम में पाप और पुण्य की अवधारणा और अन्य धर्मों के पाप और पुण्य की अवधारणाओं में कोई विकास हुआ है?

विज्ञान, धर्म और समाज की बहस में ये प्रश्न पुराने कहे जा सकते हैं, लेकिन इनके आधुनिक उत्तर बिल्कुल नए आयामों की ओर ले जाते हैं। विज्ञान, धर्म और समाज के त्रिकोण में इन उत्तरों का महत्व दोगुना हो जाता है। ख़ासकर जब इनके उत्तर आधिकारिक (Authority) रूप से दिए जाने लगें और यह विज्ञान की तुलना में विज्ञानवाद से अधिक प्रभावित होने लगे। ■■

यह समय भी कट जाएगा

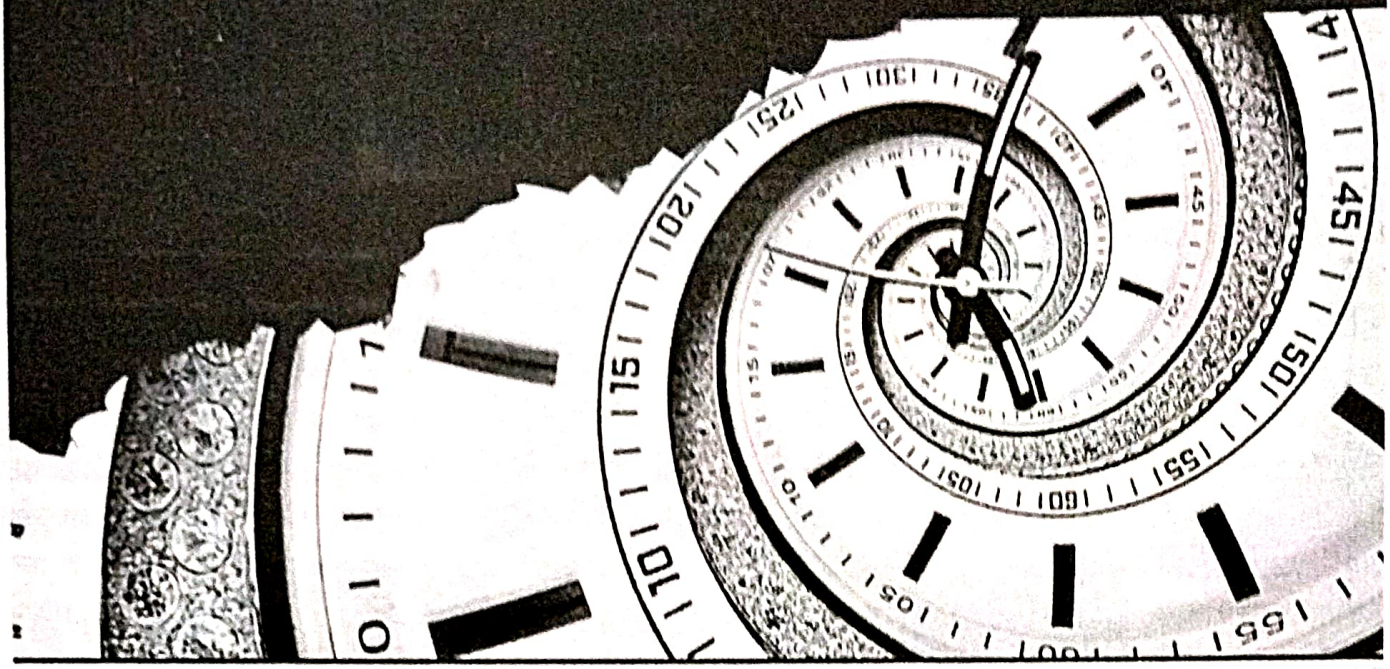

एक राजा ने अपने सेनापति से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में याद रखने लायक़ हो। सेनापति ने लिखा, 'यह समय भी कट जाएगा।' जी हां, न आशा स्थायी है और न निराशा। यह व्यक्ति के ऊपर है कि वह किसे अपने साथ रखता है- आशा को या निराशा को।

हर कोई समय-समय पर निराशा महसूस करता है। यह बहुत सामान्य है। निराशा दूसरों के कार्यों या स्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया से आ सकती है। कई मामलों में, यह भावना अल्पकालिक होती है और हर दिन हमारे मन में आने वाली कई अस्थायी भावनाओं के हिस्से के रूप में, स्थिति बदलने के साथ-साथ बदल जाती है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में, किसी व्यक्ति में लंबे समय तक निराशा घर कर सकती है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है।

निराशा का तात्पर्य क्रोध या झुंझलाहट की भावना से है जो किसी विशेष चीज़ या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि किसी अप्रिय स्थिति से उपजती है। ऐसा तब महसूस होता है जब किसी की प्रेरणाएं अवरुद्ध हो जाती है या ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पर किए गए निवेश से कोई परिणाम नहीं मिल रहा है।

सौंदर्य बोध



तबाना नूरी

निराशा किसी भी प्रकार के तनाव की प्रतिक्रिया है जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक, बाधाएं, अधूरी अपेक्षाएं या विफलताएं हो सकती है। ये काम पर लंबा दिन बिताने, अप्रत्याशित घटनाओं, अनियोजित समय-सीमा आदि के परिणामस्वरूप हो सकती है। दीर्घकालिक स्थितियों के मामले में, निराशा व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे अनियंत्रित क्रोध, तनाव का स्तर बढ़ जाना, हतोत्साह की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यक्ति अलग-अलग तरह से निराशा का अनुभव करते हैं और व्यक्त करते हैं, यह अंतर मुक़ाबला करने के कौशल व लचीलेपन पर निर्भर करता है।

निराशा आंतरिक कारकों, व्यक्तिगत गुणों या विश्वासों के परिणामस्वरूप हो सकती है और बाहरी कारकों के कारण भी हो सकती है। हताशा की भावना में स्थायी तनाव या तो मानसिक या शारीरिक रूप से होता है, और इसे हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव किया जा सकता है।

घटनाओं का अप्रत्याशित मोड़, आर्थिक परेशानी, अनसुलझे मामले, विफल या खटास भरे रिश्ते, जटिल कार्य मानक, अधूरी समय-सीमा, मानसिक विकार जैसे अवसाद और पोस्ट ट्रामैटिक सिंड्रोम डिसआर्डर (पीटीएसडी) जैसे

कुछ कारण हैं जो निराशा को जन्म देते हैं। चूंकि निराशा महसूस करना हमारी दैनिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और हम ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह पता लगाना महत्त्वपूर्ण है कि इस भावना से कैसे निपटा जाए और हर छोटी असुविधा पर निराश होने की भावना को कैसे कम किया जाए। पहले उपाय में निराशा के स्रोतों की पहचान करना शामिल है ताकि यह पता चल सके कि किस पर काम करना है।

निराशा को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपायों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनना होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उपयोग करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इससे निराशा से निपटने में योगदान मिलता है। इससे आपको लोगों के कार्यों और परिस्थितियों पर अधिक उचित प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है जो निराशा का कारण बन सकती है।

"और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि "हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है," उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।"

(कुरआन, 2:155-157)

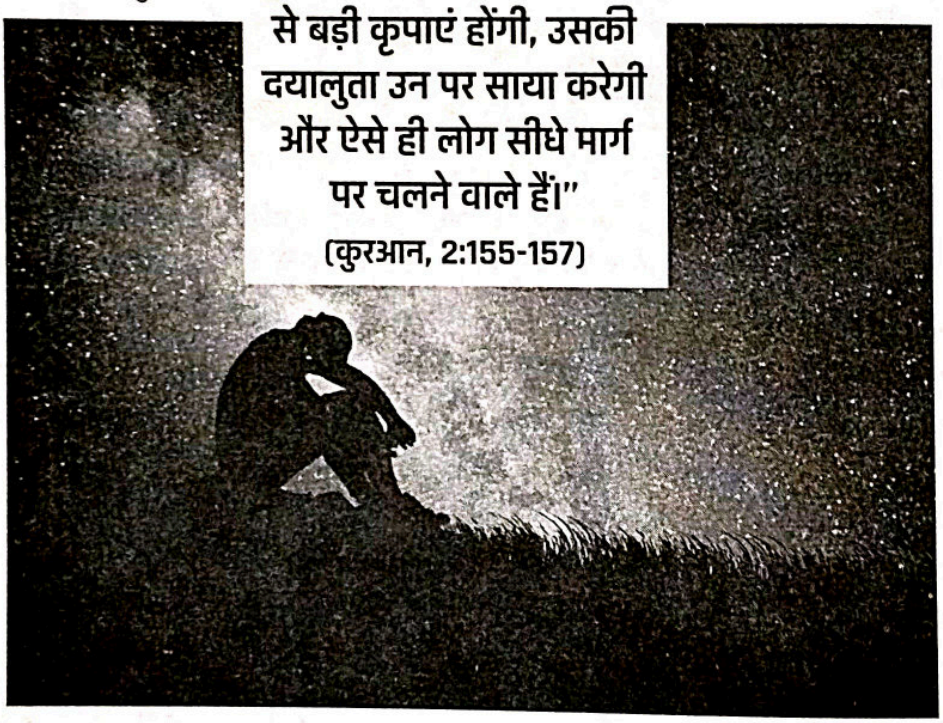

हमें आशावादी सोच अपनानी होगी। किसी स्थिति या काम की जटिलता आपके दृष्टिकोण और विचार की पद्धति पर निर्भर करती है। निराश होना एक नकारात्मक दृष्टिकोण से भी हो सकता है जहां हम चुनौतियों को अपने नियंत्रण से परे देखते हैं। आप जो हासिल करने में सक्षम हैं उसके बजाय चुनौतियों से सीखने और विकास के उज्ज्वल दृष्टिकोण को अपनाने से निराशा की भावना से छुटकारा मिल सकता है। यह आपको लचीला बनाने में मदद कर सकता है।

निराशा को दूर करने के लिए कुछ व्यायामों को अपनाया जा सकता है। चूंकि निराशा का भाव तनाव या अभिभूत होने के परिणामस्वरूप होता है, इसलिए आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने, आपके दिमाग़ को साफ़ करने और आपको ख़ुश रखने में मदद करने के लिए सांस लेने का व्यायाम बहुत अच्छा होगा। जब दिमाग़ उथल-पुथल की धुंध में हो, तो गहरी सांस लें और धीरे-धीरे उसे छोड़ें। इसी प्रकार आज विभिन्न व्यायामों का अभ्यास भी कर सकते हैं।

अपनी भावनाओं को दबाने से आप और अधिक निराशा और घुटन महसूस करने लगेंगे। अपनी निराशा को बाहर निकालना न केवल लाभदायक है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यह मानसिक तनाव और हताशा को कम करने का भी एक अच्छा साधन साबित हुआ है।

तनाव को प्रबंधित करने से निराशा को कम किया जा सकता है और काम के बीच में विराम लेना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा है। किसी छोटे या लंबे समय के काम पर जाते समय, काम से बाहर जाने के लिए समय निकालें। हो सकता है कि आप अपनी गतिविधियों और उन्हें करने के तरीक़े में कुछ समायोजन करना चाहें। इसमें उन ज़िम्मेदारियों में कटौती करना शामिल है जो आपके जीवन में तनाव को बढ़ावा दे सकती है। आप उन चीज़ों में निवेश करना चाहें जो आपको अधिक तरोताज़ा बनाती है। इसके लिए आपको खटास भरे रिश्तों से बाहर निकलने की भी आवश्यकता हो सकती है।

जीवन में लचीलापन अपनाएं। लचीलापन एक झटका झेलने के बाद

लौटने की क्षमता है। यह हमें तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उस पर क़ाबू पाने में मदद करता है। लचीलापन लाने के तरीक़ों में से एक यह समझना है कि परिवर्तन और घटनाओं का अप्रत्याशित मोड़ सामान्य है, आपकी ग़लती नहीं है या आपके पास क्षमताओं की कमी है।

बहुत अधिक मानसिक तनाव के साथ बड़े लक्ष्य रखने के बजाय, विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय आधारित लक्ष्यों के छोटे हिस्से निर्धारित करने से निराशा से उबरने का

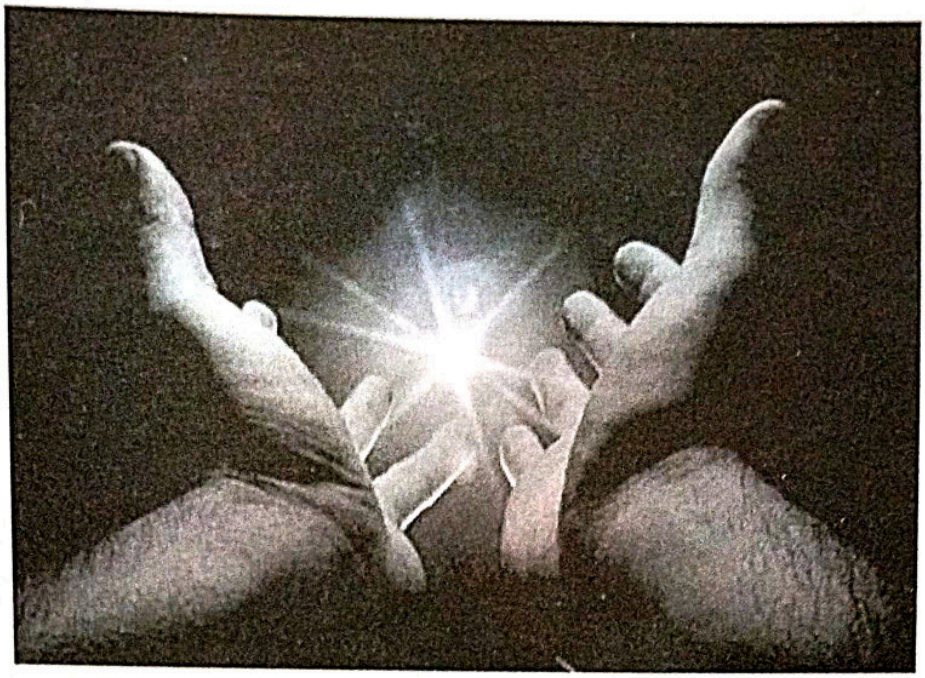

"जीवन में लचीलापन अपनाएं। लचीलापन एक झटका झेलने के बाद लौटने की क्षमता है। यह हमें तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उस पर काबू पाने में मदद करता है। लचीलापन लाने के तरीकों में से एक यह समझना है कि परिवर्तन और घटनाओं का अप्रत्याशित मोड़ सामान्य है, आपकी गलती नहीं है या आपके पास क्षमताओं की कमी है। बहुत अधिक मानसिक तनाव के साथ बड़े लक्ष्य रखने के बजाय, विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय आधारित लक्ष्यों के छोटे हिस्से निर्धारित करने से निराशा से उबरने का मौका मिलता है। अतः स्वयं के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें।"

मौक़ा मिलता है। अतः स्वयं के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें।

जीवन में धैर्य और प्रार्थना का साथ कभी न छोड़ें। जीवन में आज़माइशें आती हैं। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस संबंध में क़ुरआन की दो आयतों (कथनों) के उल्लेख से बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है-

"और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि "हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है," उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।"

(क़ुरआन, 2:155-157)

"धैर्य और नमाज़ (प्रार्थना) के माध्यम से मदद मांगो, निस्संदेह यह बहुत कठिन है, उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल पिघले हुए हों; जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की ओर पलटकर जाना है।"

(क़ुरआन, 2:45-46)

उक्त आयतें मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो आशा खो देते हैं और उदास हो जाते हैं। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही और कोई समाधान नहीं मिल रहा, हम अपनी निराशा में फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि एक सच्चे आस्तिक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ईश्वर हमें इस आयत के माध्यम से उत्तर देता है और हमें बताता है कि हमें कठिन समय के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए।

ईश्वर कहता है कि हमें उससे मदद मांगनी चाहिए और दो काम करने चाहिए। सबसे पहले धैर्य रखना है। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि यह कठिनाई दूर हो जाएगी। दूसरे, हमें प्रार्थना के माध्यम से उससे सहायता मांगनी चाहिए। ये दो चीज़ें हमें जीवन में दुख और कठिन समय से निकलने में मदद करेंगी। ■■

क्रान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।



कृषि की राह में कॉरपोरेट के कांटे

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक बार फिर से आंदोलनरत हैं। दो वर्ष पहले किसान इसी आश्वासन पर आंदोलन से वापस लौटे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी का क़ानून जल्दी ही बना देगी। इसके लिए समिति भी गठित की गई, मगर क़ानून का प्रारूप अधर में ही लटका रहा। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को मुआवज़ा और उनके परिवार से किसी व्यक्ति को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया था। आंदोलन के समय जिन किसानों के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज हुए थे, सरकार ने उन्हें भी समाप्त करने का वादा किया था, मगर इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो सका।

सवाल है कि आख़िर क्यों किसान बार-बार दिल्ली आने को मजबूर होते हैं? अगर किसानों की समस्याओं का उचित समाधान हो जाए, तो भला वे क्यों अपनी खेती-किसानी छोड़कर आंदोलन करेंगे? उन्हें क्यों शौक़ होगा कि वे दिल्ली की सड़कों पर सर्दी, गरमी या बरसात झेलें? पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी न किसी मजबूरी में ही महीनों तक अपने गांव-घर से दूर तंबुओं में दिन गुज़ारे। आख़िर इस बार की मजबूरी क्या है?

वास्तव में, वे अपनी तीन मुख्य मांगों पर दिल्ली के सत्ता-सदन की मुहर चाहते हैं। पहली मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की क़ानूनी गारंटी मिले। दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के मुताबिक़ एमएसपी तय हो और तीसरी, जो क़र्ज़ उन पर है, उसको माफ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त, पुराने आंदोलनों में दर्ज हुए मुक़दमों की वापसी हो, आंदोलन के दौरान मृत किसानों को मुआवज़ा जैसी कुछ अन्य मांगें भी इस बार शामिल की गई हैं। ये मांगें कोई अनुचित मांगें तो नहीं हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताज़ा प्रदर्शन के ज़रिये वे सरकार को दो वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए।



वहीं सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला क़ानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाज़ी में नहीं लाया जा सकता है। सवाल है कि वादा करने के बावजूद सरकार आख़िर अब तक क्या कर रही थी कि इस मसले पर किसानों के बीच स्पष्टता नहीं बन सकी?

यह ठीक है कि सरकारी फ़ैसलों में वक़्त लगता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, मगर इतना भी वक़्त नहीं लगता, जितना किसानों के मामले में लगा है। सरकार ने इस मामले में न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि दमन के ज़रिये किसानों को चुप कराने की कोशिश भी करती देखी गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसानों का भरोसा कमज़ोर हुआ है।

किसानों पर आरोप है कि चुनावी वर्ष में किसान दबाव की राजनीति कर रहे हैं? अव्वल तो किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं, क्योंकि यह उनके जीवन-मृत्यु से जुड़ा मसला है। वर्ष 2020-21 में क्या कोई चुनाव था, जो महीनों तक किसानों ने दिल्ली में डेरा डाले रखा? फिर भी, यदि यह किसी को राजनीति लगती है, तो इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। खेती-किसानी पर निर्भर देश की यह 50 प्रतिशत आबादी अपने हितों के लिए राजनीति क्यों न करे? क्या यह अधिकार सिर्फ़ राजनेताओं के पास है, जो पुरस्कारों के नामों पर भी राजनीतिक रोटी सेंक लेते हैं? हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा कि एसी कमरों में बैठने वाले लोगों की तुलना में किसान कम समझदार होते हैं।

आलोचक उनके इस आंदोलन को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कह रहे हैं कि यह सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। मगर क्या किसी ने यह सोचा कि आख़िर क्यों कोई बेवजह इस तरह

शहरी इलाकों में भले ही कोई फल या सब्ज़ी 100 रुपये प्रतिकिलो में मिलती हो, पर इसे उगाने वाले हाथों को इसकी क़ीमत बेहद कम मिलती हैं। इस तरह के तमाम उदाहरण देश भर में देखे जा सकते हैं। आयात-निर्यात संबंधी नीतियों का नुक़सान भी किसानों को ही होता हैं। ऐसे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी मांगना भला कैसे ग़लत है? हमारा आर्थिक ढांचा किसानों को जान-बूझकर ग़रीब रखने का हिमायती है। यह परंपरा अब बंद होनी चाहिए।

डंडे खाएगा? आख़िर वे मांग ही क्या रहे हैं? उनकी मुख्य मांग तो यही है कि उन्हें अपनी फ़सलों का वाजिब दाम मिले। यही सपना तो कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी था, जिनको हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया है। जब हम इन हस्तियों को सम्मानित करते हैं, तो उनके विचारों को क्यों नहीं अपनाते? यदि इनके बताए मार्ग पर हम चलने लगे, तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर ही नहीं होंगे।

वास्तविकता यह है कि शुरुआत से ही अपने देश में एक ऐसा सामाजिक ढांचा रहा है, जिसमें किसी किसान के समृद्ध जीवन की कल्पना ही बेमानी जान पड़ती है। हम यह धारणा बना चुके हैं कि किसान ग़रीबी में ही जीने को अभिशप्त हैं। दुर्भाग्य से, उनकी अब तक यही नियति रही है। वे ग़रीबी में ही जीते हैं और ग़रीबी में ही दम तोड़ देते हैं। नौकरी-पेशा लोगों का जब वेतन नहीं बढ़ता, तो वे आंदोलन करते हैं, इसलिए यदि किसानों ने भी अपने वाजिब दाम के लिए आंदोलन कर दिया, तो क्या ग़लत किया है?

समस्या यह भी है कि अपने देश में बनने वाली नीतियां कमोबेश किसान विरोधी रही हैं। विडंबना है कि वर्तमान सरकार उद्योगपतियों पर तो मेहरबान है, उनको कई तरह की राहत देती है, लेकिन उसने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में उद्योग जगत के लाखों करोड़ रुपये माफ़ किए गए हैं, जबकि उद्योगपतियों को हमने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते नहीं देखा है। इसके उलट, किसान जब कभी अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो बदले में उन्हें लाठियां-गोलियां मिलती हैं।

शहरी इलाक़ों में भले ही कोई फल या सब्ज़ी 100 रुपये प्रतिकिलो में मिलती हो, पर इसे उगाने वाले हाथों को इसकी क़ीमत बेहद कम मिलती है। इस तरह के तमाम उदाहरण देश भर में देखे जा सकते हैं। आयात-निर्यात संबंधी नीतियों का नुक़सान भी किसानों को ही होता है। ऐसे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी मांगना भला कैसे ग़लत है? हमारा आर्थिक ढांचा किसानों को जान-बूझकर ग़रीब रखने का हिमायती है। यह परंपरा अब बंद होनी चाहिए।

हमारे नियामक कहते हैं कि जब बाज़ार खुला है, तब किसानों को एमएसपी की मांग नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है, देश के 14 प्रतिशत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं, शेष 86 प्रतिशत तो बाज़ार में अपनी फ़सल बेचते हैं। अगर बाज़ार का गणित इतना सरल होता, तो भला क्यों किसान एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी मांग रहे होते? स्पष्ट है, संसद के बयान और सड़क के हालात में अंतर है। किसानों को ख़ैरात नहीं, अपना हक चाहिए, जो उनकी मांगों को मानने से ही मिल सकता है।

हमारे नियामक कहते हैं कि जब बाज़ार खुला है, तब किसानों को एमएसपी की मांग नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है, देश के 14 प्रतिशत किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं, शेष 86 प्रतिशत तो बाज़ार में अपनी फ़सल बेचते हैं। अगर बाज़ार का गणित इतना सरल होता, तो भला क्यों किसान एमएसपी पर क़ानूनी गारंटी मांग रहे होते? स्पष्ट है, संसद के बयान और सड़क के हालात में अंतर है। किसानों को ख़ैरात नहीं, अपना हक़ चाहिए, जो उनकी मांगों को मानने से ही मिल सकता है।

सवाल है कि आख़िर किसानों के पिछले आंदोलन के बाद सरकार के साथ हुए समझौते का क्या स्वरूप था और उसमें बनी सहमति को ज़मीन पर उतारने को लेकर ऐसी गंभीरता क्यों नहीं दिखी कि किसानों को फिर से सड़क पर उतरने की नौबत आई? दो वर्ष पहले किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद जब केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने का वादा किया था तो उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया? आज ज़रूरत इस बात की है कि हालात जटिल होने से पहले सरकार किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता निकाले और सहमति के बिंदु तैयार करे। ■■

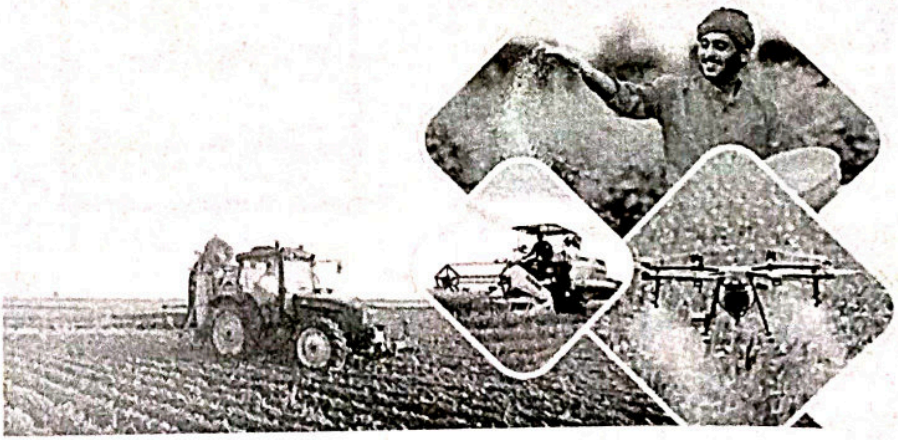

खेती पर ख़तरे से आगाह कर रहे हैं किसान

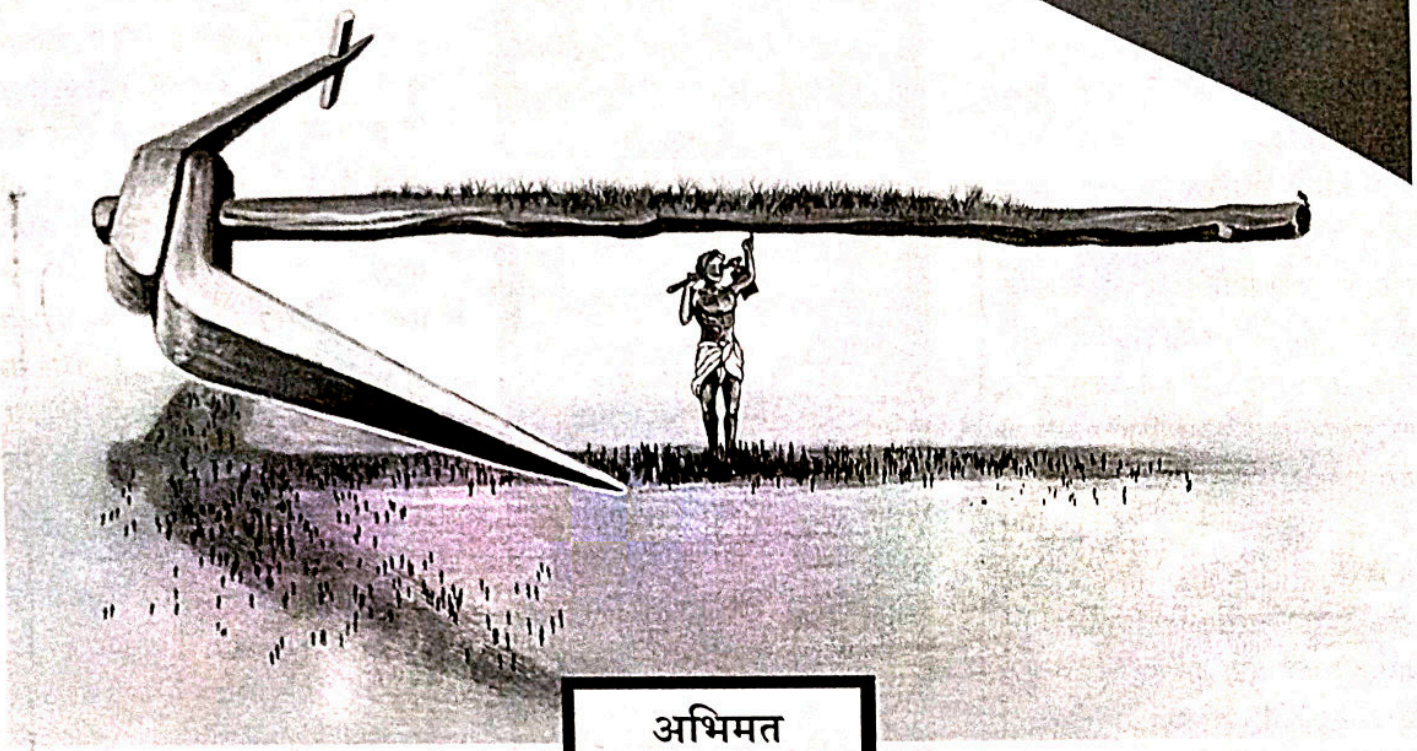

अभिमत



शशिकांत त्रिवेदी

किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को क़ानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना और तथाकथित स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी तय करना शामिल है–इसमें व्यापक लागत (जिसमें फ़सल उगाने की वास्तविक क़ीमतें जैसे, ख़रीदी गई सामग्री; बीज़, खाद, बक़ाया भाड़ा और पिछले ब्याज भुगतान शामिल हैं) पर 50 प्रतिशत लाभ का सुझाव दिया गया है, इस लागत अवधारणा में न केवल किसानों की सभी भुगतान की गई लागतें और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है, बल्कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगाया गया किराया और स्वामित्व वाली पूंजी पर लगाया गया ब्याज भी शामिल है।

अधिकांश फ़सलों के लिए सभी प्रकार की लागत और व्यापक लागत के बीच का अंतर लगभग 25 से 30 प्रतिशत है। मोदी सरकार ने जिस मौजूदा एमएसपी फॉर्मूले को स्वीकार किया है, वह कुल लागत (जिसमें सभी प्रकार की वास्तविक लागत और किसान परिवार द्वारा की गई मेहनत भी शामिल है) पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन है। इसलिए, यदि एमएसपी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली अधिकांश फ़सलों में इसे व्यापक लागत और इस पर 50 प्रतिशत मार्जिन से बदल दिया जाए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

नीति निर्माताओं को एक बात समझनी चाहिए कि किसान बहुत परेशान हैं और वे बदलते आर्थिक माहौल में अब अधिक आय चाहते हैं। उनकी इन मांगों में ज़रा भी कुछ गलत नहीं है – लगभग हर कोई कम से कम अनिश्चितता और ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहता है।

किसानों की कुछ अन्य मांगें हैं जिनमें ऋण माफ़ी, किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए पेंशन, 700 रुपये प्रति दिन की न्यूनतम मज़दूरी दर और मनरेगा श्रमिकों को किसानों के खेतों में काम करने की अनुमति देना शामिल है। उन्हें स्वीकार करने से महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें राजकोष पर गंभीर दबाव डालना और खाद्य

मुद्रास्फीति बढ़ाना शामिल है। इसलिए, किसानों की मांगों पर किसी भी निर्णय के लिए भावनाओं और राजनीति को बातचीत से दूर रखते हुए ठंडे दिमाग़ से सोचने की ज़रूरत है।

किसानों के साथ बातचीत करने वाले नीति निर्माताओं को एक बात समझनी चाहिए कि किसान बहुत परेशान हैं और वे बदलते आर्थिक माहौल में अब अधिक आय चाहते हैं। उनकी इन मांगों में ज़रा भी कुछ ग़लत नहीं है–लगभग हर कोई कम से कम अनिश्चितता और ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहता है। सवाल यह है कि

सरकार में बैठे लोगों को यह समझना ज़रूरी है कि बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती महंगाई के कारण किसान के लिए खेती करना बहुत महंगा है। उसका भविष्य खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों में है, मतलब; भविष्य पशुधन, बागवानी और मछली पालन मत्स्य पालन और बागवानी में अधिक निहित है। सरकार के पास बहुत विकल्प भले न हों, लेकिन सहकारिता के

आंकड़ा काफ़ी बड़ा होगा।

तो, किसानों की आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या होगा? वर्तमान एमएसपी व्यवस्था के तहत 23 फ़सलें खेती और खेती से जुड़ी उपज के मूल्य का केवल 28 प्रतिशत है। यदि सरकार इन 23 फ़सलों का एमएसपी लागत व्यापक लागत और उस पर 50 प्रतिशत मार्जिन के आधार पर बढ़ाने और इसे सभी ख़रीदारों पर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने पर सहमत हो जाए तो यह फॉर्मूला दूसरी फ़सलों पर भी लागू होगा। मसलन फिर दूध पर इसी फार्मूले के तहत एमएसपी पर ख़रीदना



क्या सरकार के पास अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचाए किसानों की भरपाई के लिए पर्याप्त धन है? अगर सरकार किसानों की मांगों को जस का तस लागू कर दे तो ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि इसमें कितना पैसा चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार 23 वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं को बढ़ी हुई एमएसपी पर ख़रीदेगी, बाज़ार की क़ीमतों का स्तर और ऋण माफ़ी और पेंशन की राशि कितनी होगी। यह

मॉडल अपना कर बाजार का जोखिम किसानों के बजाए बाजार में खेती की इन उपज को बाजार में मुहैया करने वाले लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब खेती और खेती से जुड़ी उपज उपभोक्ताओं की जेब की सीमा में हों और दुनिया भर के बाजारों में उनकी पहुंच हो।

होगा जिसका मूल्य गेंहू, दालें और गन्ने वग़ैरह से भी बहुत अधिक होगा। फिर बाग़वानी करने वाले, मुर्ग़ी पालने वाले, अंडे वाले सभी को एमएसपी की गारंटी देनी होगी। जो ग़ैर-कृषि उपज हैं, जैसे सब्ज़ियां, दूध वग़ैरह उनकी क़ीमतें भी बढ़ रही हैं जो लगभग 5 से 8 फ़ीसदी हैं, जबकि अनाज महज़ 1.8 फ़ीसदी ही बढ़ा है। ■■

सरकार में बैठे लोगों को यह समझना ज़रूरी है कि बढ़ते शहरीकरण

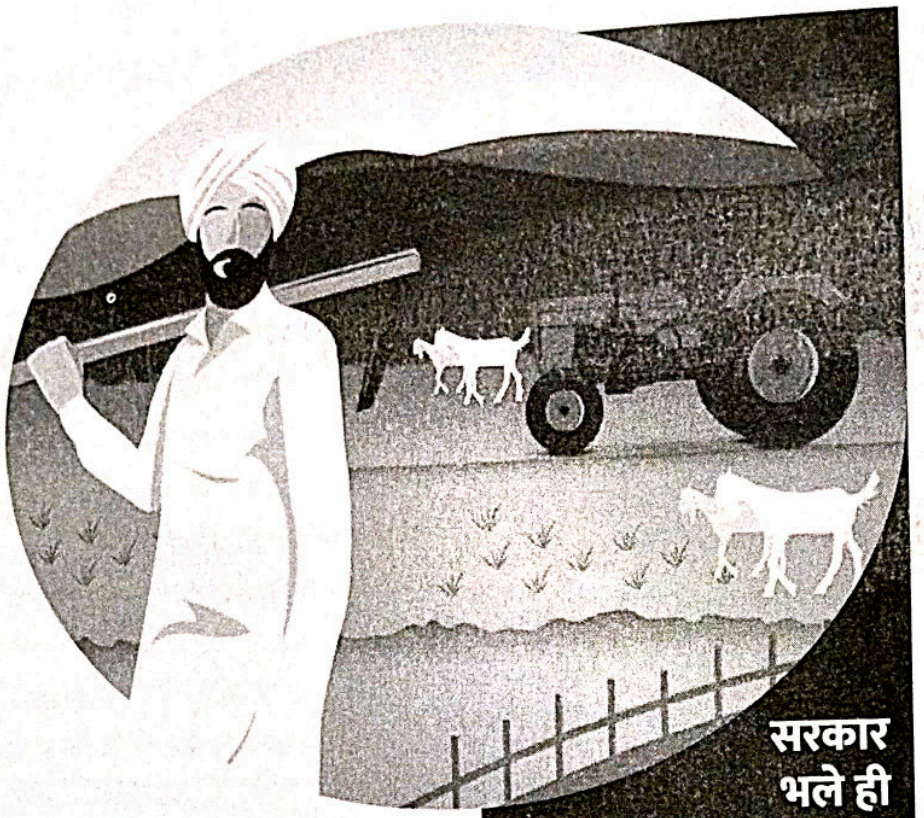

और बढ़ती महंगाई के कारण किसान के लिए खेती करना बहुत महंगा है। उसका भविष्य खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों में है, मतलब; भविष्य पशुधन, बाग़वानी और मछली पालन और बाग़वानी में अधिक निहित है। सरकार के पास बहुत विकल्प भले न हों, लेकिन सहकारिता के मॉडल अपना कर बाज़ार का जोखिम किसानों के बजाए बाज़ार में खेती की इन उपज को बाज़ार में मुहैया करने वाले लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब खेती और खेती से जुड़ी उपज उपभोक्ताओं की जेब की सीमा में हों और दुनिया भर के बाज़ारों में उनकी पहुंच हो। देश के कृषि-अनुसंधान एवं विकास संस्थान, कृषि वैज्ञानिक, बैंक और बाज़ार संभालने वाले लोग मिलकर काम करें तो किसानों और खेती को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि देश में खेती को एक नई दिशा दी जा सकती है।

लेकिन काम आसान भी नहीं है सरकारों को खेती की उपज पर लगे सभी निर्यात प्रतिबंधों को हटाना होगा, निजी व्यापार पर भंडारण की सीमा को हटाना

सरकार भले ही कोई हो, सरकार से उम्मीद है कि पहले यह समझे कि किसानों की ये वह आखिरी कौम है जो आने वाले खतरे से देश को आगाह कर रही है। ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों के निजी लाभ की समस्या नहीं है। नहीं तो अभी 80 करोड़ गरीब राशन ले रहे हैं, कोई हल न निकला तो 140 करोड़ गरीबों को राशन पर आते देर नहीं लगेगी। इतना राशन जुटाना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। सरकार को किसानों की मांगों का अध्ययन करना चाहिए और समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उनके साथ बैठना चाहिए।

और भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) की आर्थिक लागत से कम क़ीमत पर खुले बाज़ार में गेहूं और चावल को मुहैया करवाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का इनसे कुछ भला नहीं होता बल्कि हर फ़सल के मौसम में सारा बोझ उसी पर आता है। क़ीमतें बाज़ार के अनुसार नहीं बल्कि किसान के अनुसार तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि किसान फैक्ट्री में अनाज नहीं बनाता न उससे अनाज ख़रीद कर बाज़ार उस पर कोई एहसान करता। अगर 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं तो यह भी पता करना ज़रूरी है कि पिछले समय में उनमें से कितने लोग अच्छे-खासे किसान थे जो बाद में खेतिहर मज़दूर और अब राशन पर आ गए हैं। बजट में खेती की सब्सिडी भी लगातार कम होती गई है जो अब लगभग 5 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन अस्ल में इसका लाभ उपभोक्ता या बाज़ार को मिलता है न कि किसान को। खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी से एमएसपी कम रहती है और लाभ उपभोक्ता को मिलता है न कि किसान को।

सरकार भले ही कोई हो, सरकार से उम्मीद है कि पहले यह समझे कि किसानों की ये वह आख़िरी क़ौम है जो आने वाले ख़तरे से देश को आगाह कर रही है। ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों के निजी लाभ की समस्या नहीं है। नहीं तो अभी 80 करोड़ ग़रीब राशन ले रहे हैं, कोई हल न निकला तो 140 करोड़ ग़रीबों को राशन पर आते देर नहीं लगेगी। इतना राशन जुटाना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। सरकार को किसानों की मांगों का अध्ययन करना चाहिए और समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उनके साथ बैठना चाहिए। ■■ *(साभार, कृषक जगत)*



एमएसपी की गारंटी

संरक्षण भरपूर आशंकाएं निर्मूल

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज देश में कृषि कर्म घाटे का सौदा बनता जा रहा है। किसानों का दर्द एक-दूसरे पर जवाबदेही थोपने के लिए इस्तेमाल करने का ज़रिया बन चुका है। कारण स्पष्ट है कि गांवों से भारत की आत्मा विदा ले चुकी है और किसान द्वारा उठाये जा रहे सवालों का रचनात्मक उत्तर खोजने के बजाए सरकारें इसे क़ानून व्यवस्था का प्रश्न मानने लगी हैं।

तीन वर्ष पूर्व तीन कृषि क़ानूनों के निरस्तीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांगों को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 13 महीनों तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। अंततः सरकार ने 19 नवंबर, 2021 को वे क़ानून वापस ले लिए। साथ ही सरकार ने एमएसपी समेत अन्य मांगों के क्रियान्वयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, परंतु



इस समिति ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

सरकार के इस रवैये से निराश होकर किसान संगठनों ने गत 13 फ़रवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद सरकार सक्रिय हुई और किसानों से दो बार वार्ता की, जो सफल नहीं हुई। अंततः पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया और हरियाणा की सीमाओं पर आकर डट गए, जहां अवरोध लगाकर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद भी वार्ताओं के दौर हुए, जिसमें भी बात नहीं बनी। सरकार ने पांच फ़सलों अरहर, मसूर, उड़द, मक्का और कपास पर अगले पांच सालों तक एमएसपी पर ख़रीद का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान नेताओं ने ख़ारिज कर दिया।

किसानों की मूल मांग यह है कि एमएसपी से कम पर फ़सलों की ख़रीद क़ानूनी रूप से वर्जित हो यानी कोई व्यापारी या संगठन जब फ़सल

ख़रीदें तो एमएसपी वैधानिक रूप से 'आरक्षित मूल्य' हो। इससे कम मूल्य पर ख़रीद न हो। एमएसपी का निर्धारण भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संपूर्ण लागत बनी सी-2 पर 50 प्रतिशत मुनाफ़ा जोड़कर हो, जैसा स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश थी और जैसा प्रधानमंत्री का वादा भी था।

एमएसपी की गारंटी की मांग किसानों विशेषकर छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इस मांग का गणित

सरकार गन्ने का जो दाम घोषित करती हैं, उसी पर निजी चीनी मिलें गन्ना ख़रीदती हैं। इसी प्रकार मज़दूरों का शोषण रोकने के लिए न्यूनतम मज़दूरी दर और राजस्व की सुरक्षा हेतु ज़मीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य और सेक्टर रेट घोषित करती हैं। इसी तरह फ़सलों की एमएसपी ख़रीद की गारंटी क्यों नहीं हो सकती? एक तर्क यह भी दिया जा रहा कि यदि एमएसपी बाध्यकारी रहे तो व्यापारी फसलें

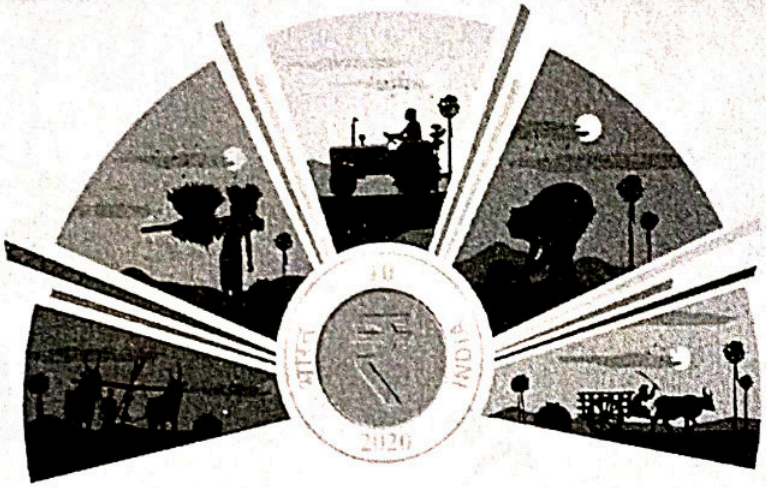

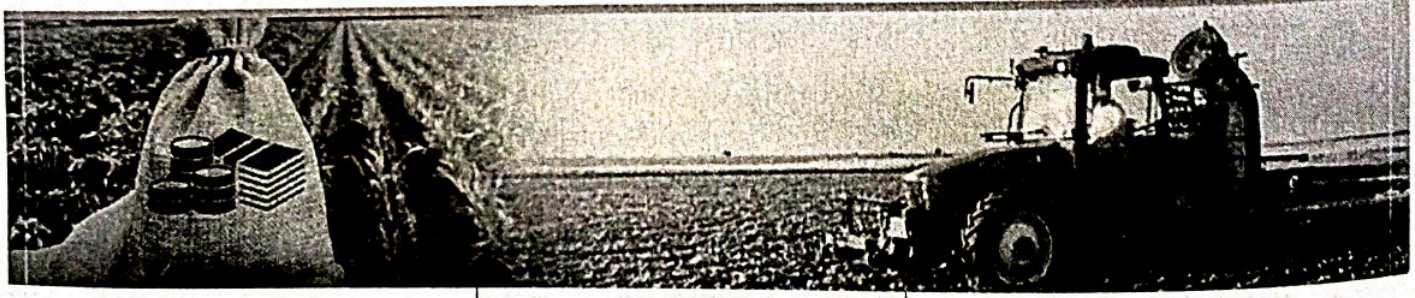

समझना आवश्यक है। अभी देश में 23 फ़सलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना और कपास जैसी फ़सलें शामिल हैं। 2023-24 में इन फ़सलों का एमएसपी पर कुल मूल्य लगभग 15 लाख करोड़ रुपये बनता है। किसान स्वयं भी बड़ी मात्रा में फ़सलों का उपभोक्ता है। वह लगभग एक तिहाई यानी पांच लाख करोड़ रुपये मूल्य की फ़सलें स्वयं के उपभोग पशुओं के आहार, बीज, अन्न विनिमय आदि में

नहीं ख़रीदेंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे और सरकार सारी फ़सल ख़रीदने को मजबूर होगी। सवाल है कि क्या गन्ने का मूल्य घोषित करने से चीनी मिलें बर्बाद हो गईं? क्या सारा गन्ना सरकार ख़रीद रही है? क्या न्यूनतम मज़दूरी क़ानून से कोई उद्योग मज़दूरों को रोज़गार नहीं दे रहा? चूंकि व्यापारी जिस मूल्य पर अनाज ख़रीदते हैं उस पर मुनाफ़ा जोड़कर आगे बेचते हैं, अतः उन्हें कोई दिक्क़त नहीं होनी चाहिए।

इस्तेमाल करता है। कुछ हिस्सा कटाई, ढुलाई और भंडारण में ख़राब हो जाता है।

एमएसपी वाली फ़सलों में से क़रीब 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फ़सलें ही बाज़ार में बिक्री हेतु आती हैं। इसमें से गन्ने समेत सरकारी ख़रीद लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की है। बाक़ी लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपये की फ़सलें ही निजी क्षेत्र द्वारा ख़रीदी जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार व्यापारी एमएसपी से औसतन 25 प्रतिशत कम पर फ़सलें ख़रीदते हैं। यदि एमएसपी की वैधानिक गारंटी हो तो व्यापारियों को अधिकतम 1.5 लाख करोड़ रुपये और अतिरिक्त भुगतान किसानों को करना होगा। यदि एमएसपी गारंटी के इन सारे ख़र्चे को सरकार उठा ले तो भी 1.5 लाख करोड़ रुपये का ही अधिकतम ख़र्च आएगा। यह राशि हमारी जीडीपी के आधे प्रतिशत से भी कम है। साफ़ है कि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका भी निर्मूल दिखती है।

किसानों की मांग यह नहीं है कि सारी फ़सलें सरकार ही ख़रीदे। सरकार अपनी ज़रूरत भर ही ख़रीद करे किसानों की मांग निजी क्षेत्र या सरकार को सारी फ़सलें ख़रीदने के लिए बाध्य करना भी नहीं है, पर यदि कोई व्यापारी अन्न बाज़ार में उतरता है तो वह किसान को एमएसपी वाली क़ीमत देने के लिए क़ानूनी रूप से बाध्य हो, इस मांग को मानने से केवल व्यापारियों पर अंकुश लगेगा सरकार का एक रुपया भी अतिरिक्त ख़र्च नहीं होगा। उलटे अतिरिक्त धनराशि किसानों को मिलने से अर्थव्यवस्था में मांग के साथ रोज़गार बढ़ेंगे और निवेश के साथ टैक्स बढ़ेगा। सरकार को व्यापारी हित से ज़्यादा किसान हित को संरक्षण देना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एमएसपी को निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं किया जा सकता, पर कई बार सरकार जनहित या वर्गहित में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है।

सरकार गन्ने का जो दाम घोषित करती है, उसी पर निजी चीनी मीलें गन्ना ख़रीदती हैं। इसी प्रकार मज़दूरों का शेषण रोकने के लिए न्यूनतम मज़दूरी दर और राजस्व की सुरक्षा हेतु ज़मीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य और सेक्टर रेट घोषित करती हैं। इसी तरह फ़सलों की एमएसपी ख़रीद की गारंटी क्यों नहीं हो सकती?

एक तर्क यह भी दिया जा रहा कि यदि एमएसपी बाध्यकारी रहे तो व्यापारी फ़सलें नहीं खरीदेंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे और सरकार सारी फ़सल ख़रीदने को मजबूर होगी।

सवाल है कि क्या गन्ने का मूल्य घोषित करने से चीनी मीलें बर्बाद हो गईं? क्या सारा गन्ना सरकार ख़रीद रही है? क्या न्यूनतम मज़दूरी क़ानून से कोई उद्योग मज़दूरों को रोज़गार नहीं दे रहा? चूंकि व्यापारी जिस मूल्य पर अनाज ख़रीदते हैं उस पर मुनाफ़ा जोड़कर आगे बेचते हैं, अतः उन्हें कोई दिक़्क़त नहीं होनी चाहिए। एमएसपी क़ानून के चलते जब सरकार और व्यापारी एक मूल्य पर ही ख़रीद करेंगे तो सरकार अधिक ख़रीद भंडारण और वितरण की समस्या और इस कारण सरकारी ख़ज़ाने पर पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से भी बचेगी जब सभी फ़सलें एमएसपी पर बिकेंगी तो किसान गेहूं और धान के फ़सल चक्र से भी निकलकर अन्य फ़सलों का उत्पादन बढ़ाएगा। इससे हम दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यहां यह ध्यान रहे कि वर्ष 2019 में कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स घटाने के निर्णय से ही सरकार को लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। एमएसपी बाध्यकारी बनाने से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी क़ानून बनने से अतिरिक्त राशि सरकार को नहीं चुकानी पड़ेगी और व्यापारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी यह रक़म कोई बड़ी रक़म नहीं। ■■



कविता

किसान

हेमन्त में बहुदा घनों से पूर्ण रहता व्योम है
पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है
हो जाये अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहां
खाते, खवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे जहां
आता महाजन के यहां वह अन्न सारा अंत में
अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में

बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा
है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा
देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे
किस लोभ से इस आंच में, वे निज शरीर जला रहे

घनघोर वर्षा हो रही, है गगन गर्जन कर रहा
घर से निकलने को गरज कर, वज्र वर्जन कर रहा
तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं
किस लोभ से वे आज भी, लेते नहीं विश्राम हैं

बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है
है शीत कैसा पड़ रहा, और थरथराता गात है
तो भी कृषक ईंधन जलाकर, खेत पर हैं जागते
यह लाभ कैसा है, न जिसका मोह अब भी त्यागते

सम्प्रति कहां क्या हो रहा है, कुछ न उनको ज्ञान है
है वायु कैसी चल रही, इसका न कुछ भी ध्यान है
मानो भुवन से भिन्न उनका, दूसरा ही लोक है
शशि सूर्य हैं फिर भी कहीं, उनमें नहीं आलोक है

मंथन



जितेंद्र गौतम



ख़तरनाक हैं

बाल श्रम के बदलते स्वरूप

अक्सर हम बालश्रम का अर्थ बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं। जबकि अगर बच्चों के दिमाग़ पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनके दिमाग़ को परंपरागत श्रम से अलग श्रम करना पड़ रहा है, तो वह भी एक तरह का बालश्रम ही है। दुखद है कि हम इस परंपरागत बालश्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बालश्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। बालश्रम को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को नुक़सान पहुंचाता है या उनका शोषण करता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग़ों को शामिल न करने के निर्देश दिए। आयोग ने सख़्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे-बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग़ नहीं दिखने चाहिए।

आयोग ने कहा कि किसी भी तरीक़े से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। अगर कोई भी दल अपने प्रचार में बच्चों को शामिल करता पाया गया, तो बालश्रम से संबंधित क़ानूनों के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी।

किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। अगर कोई भी दल अपने प्रचार में बच्चों को शामिल करता पाया गया, तो बाल श्रम से संबंधित कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रगतिशील दौर में भी बालश्रम के मुद्दे पर हम प्रायः मौन हैं। सवाल है कि क्या आज़ादी के अमृतकाल में हम बालश्रम के मुद्दे पर कोई ठोस पहल कर पाएंगे? यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दस श्रमिक में से एक श्रमिक बच्चा है। बालश्रम निवारण के लिए बने विभिन्न क़ानूनों के अतिरिक्त 2009 में बने 'शिक्षा का अधिकार' क़ानून के तहत भी बालश्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ दंड का प्रावधान है। 'शिक्षा का अधिकार' क़ानून के तहत बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया गया है, ताकि ये बालश्रम से दूर

रहकर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुन सकें। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में बालश्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से 7.3 फ़ीसद बच्चे केवल भारत में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि शीघ्र ही पूरे विश्व में बालश्रम समाप्त हो जाए, लेकिन इस संबंध में मनुष्य के खोखले आदर्शवाद और संकुचित मानसिकता के कारण यह संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर आज विभिन्न तौर-तरीक़ों से बचपन पर ख़तरा मंडरा रहा है।



बालश्रम के कारण आज अनेक बच्चे कुपोषण और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले 'सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च' द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा का भी बच्चों के दिलों-दिमाग़ पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि आज अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो भूत और किसी अन्य भटकती आत्मा के भय से प्रताड़ना की ज़िन्दगी जी रहे हैं।

'सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च' ने बच्चों पर मीडिया के कुप्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण कराया था। पांच शहरों में कराए गए इस सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आया था कि हिंसा और भय वाले कार्यक्रमों के कारण बच्चों के दिलो-दिमाग़ पर गहरा असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा भावनात्मक असर पड़ता है, जो आगे चलकर उनके भविष्य के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पचहत्तर फ़ीसद टीवी कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनमें किसी न किसी तरह की हिंसा ज़रूर दिखाई जाती है। इन कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर पड़ता है। रहस्य, रोमांच, भयावह कार्यक्रम और 'सोप ओपेरा' देखने वाले

आज की महानगरीय जीवन शैली में माता और पिता दोनों ही अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में भी बच्चों की उचित और संपूर्ण देखभाल प्रभावित होती है। बहुत सारे परिवारों में चच्चों को आया या नौकर के सहारे छोड़ दिया जाता है। दरअस्ल, इस बदलते माहौल और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के वातावरण में ढलने के लिए बच्चा जिस तरह में संघर्ष कर रहा है, यह भी बाल श्रम ही है। बहरहाल, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बालश्रम के अर्थ को व्यापक रूप से ग्रहण करें। इस प्रगतिशील दौर में हम वालश्रम का पुराना अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। बालश्रम के विभिन्न स्वरूपों पर बात करके ही हम सच्चे अर्थों में बचपन बचा सकते हैं।

बच्चे जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से प्रभावित हो जाते हैं।

इस समय भारत समेत दुनिया भर के बच्चों पर अनेक तरह के ख़तरे मंडरा रहे हैं। विडंबना यह है कि अब जलवायु परिवर्तन भी बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 2.3 अरब बच्चों में से लगभग 69 करोड़ बच्चे जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके चलते उन्हें उच्च मृत्यु दर, ग़रीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 53 करोड़ बच्चे बाढ़ और उष्णकटिबंधीय तूफ़ानों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहते हैं। ग़ौरतलब है कि इनमें से ज़्यादातर देश एशिया में हैं। क़रीब 16 करोड़ बच्चे सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पल-बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में से ज़्यादातर अफ़्रीक़ा में हैं।

एक अध्ययन में जलवायु परिवर्तन और बच्चों में कुपोषण के अंतर्संबंधों पर भी शोध हुआ है। पहले कुपोषण का अर्थ शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना माना जाता था, लेकिन इस दौर में कुपोषण के अर्थ बदल गए हैं। अब ज़्यादा या कम वज़न होने का अर्थ भी कुपोषण ही है। यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में क़रीब सत्तर करोड़ बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। यह ज़रूर है कि वैश्विक स्तर पर कुपोषित बच्चों की संख्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है, लेकिन 'लांसेट पत्रिका की एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में कुपोषण की स्थिति और ख़तरनाक होने की संभावना व्यक्त की गई है। बीमारी के साथ-साथ ऐसे अनेक कारण हैं, जिनके चलते बीमार बच्चों का समय पर ठीक होना संभव



दुखद है कि हम इस परंपरागत बालश्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बालश्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। बाल श्रम को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है या उनका शोषण करता है।हालांकि बाल श्रम के ख़िलाफ़ लड़ाई में दुनिया भर में प्रगति हुई है, फिर भी अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाक़ी है।

नहीं हो पाता। कई बार ग्रामीण इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दूसरी तरफ़, पिछड़े इलाक़ों में स्वच्छ पेयजल और साफ़-सफ़ाई का भी अभाव रहता है। जलवायु परिवर्तन इन्हीं सब कारकों को बढ़ाकर बच्चों के लिए अनेक समस्याएं पैदा करता है।

ग़ौरतलब है कि आज की महानगरीय जीवनशैली में माता और पिता दोनों ही अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में बच्चों की उचित और संपूर्ण देखभाल प्रभावित होती है। बहुत सारे परिवारों में बच्चों को आया या नौकर के सहारे छोड़ दिया जाता है। दरअस्ल, इस बदलते माहौल और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के वातावरण में ढलने के लिए बच्चा जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, यह भी बालश्रम ही है। बहरहाल, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बालश्रम के अर्थ को व्यापक रूप से ग्रहण करें। इस प्रगतिशील दौर में हम बालश्रम का पुराना अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। बालश्रम के विभिन्न स्वरूपों पर बात करके ही हम सच्चे अर्थों में बचपन बचा सकते हैं। हालांकि बालश्रम के ख़िलाफ़ लड़ाई में दुनिया भर में प्रगति हुई है, फिर भी अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाक़ी है। ■■

दवा को इलाज की दरकार

सरोकार



डॉ. प्रदीप कुमार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गत माह एक बार फिर नक़ली दवा कंपनी का पकड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नक़ली दवाओं का निर्माण जिस गति से किया जा रहा था उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ग़ाज़ियाबाद में न जाने कब से यह गोरख धंधा चल रहा था। औषधि विभाग, क्राइम ब्रांच और पुलिस को यहां करोड़ों रुपये की नक़ली दवाएं मिलीं। देश में नक़ली दवाओं का मामला केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हाल में ही तेलंगाना सरकार ने मेग लाइफ़ साइंसेज द्वारा निर्मित 33 लाख रुपये से ज़्यादा की तीन दवाओं की जांच की और उनमें दवा का कोई भी तत्व नहीं पाया गया।

राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन के अनुसार इन तीनों नक़ली दवाओं में केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिला है। पता नहीं, ऐसी कितनी कंपनियां देश में चल रही हैं? इससे पहले तेलंगाना डीसीए और हैदराबाद पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद उत्तराखंड में इसी तरह के एक नक़ली दवा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें चॉक पाउडर वाली नक़ली दवाओं को सिप्ला जैसी प्रतिष्ठित फ़ार्मा कंपनियों की दवा के रूप में पेश किया जा रहा था। बीते माह महाराष्ट्र में भी भारी मात्रा में नक़ली एंटीबायोटिक दवाओं को ज़ब्त किया गया था।



भ्रष्टाचार के सहारे ऐसी कंपनियों को फलन-फूलने का अवसर मिल जाता है। सुरक्षा एजेंसियों और औषधि नियामक संस्थाओं को मिलकर दवा की दुनिया में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ठोस क़दम उठाना चाहिए। कोई मरीज़ दवा को इसी विश्वास के साथ लेता है कि इससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे क्या मालूम कि वह जो दवाई ले रहा है वह असली है या नक़ली। वह उसे जांच कर तो देखता नहीं और इसे जांचने की कोई आसान प्रक्रिया भी नहीं है। मरीज़ यह नहीं जानता है कि जो कैप्सूल वह खा रहा है उसमें दवाई की जगह चावल का पाउडर या कुछ और भरा है। ये जांचना ड्रग कंट्रोल विभाग और उससे जुड़ी एजेंसियों का काम है।

वैसे तो किसी भी बीमारी की

दवा में मिलावट मरीज़ की सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है, लेकिन अगर मिलावट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा में हो तो, मिलावटखोरी के अपराध की गंभीरता का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे से दवा के पैकेट की क़ीमत भी लाखों रुपये होती है। मरीज़ भरोसा करके बाज़ार से दवा ख़रीदते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके, लेकिन यदि दवा ही नक़ली या मिलावट की हुई होगी तो मरीज़ को बचा पाना मुश्किल होगा। व्यक्तिगत आर्थिक फ़ायदे के लिए नक़ली दवाओं का कारोबार मरीज़ों की ज़िन्दगी के साथ खिलवाड़ है।

इससे पहले पिछले साल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नक़ली दवाई सप्लाई करने वाले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफ़ाश किया, जो पूरे देश में कैंसर की नक़ली दवा बेचता था। पुलिस ने इस मामले में आठ करोड़ मूल्य की अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की नक़ली दवाओं को ज़ब्त किया था। इस मामले में सात लोगों को गिरफ़्तारी भी हुई थी, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए पास लोग शामिल थे। ख़ास बात है कि गैंग का सरगना डॉक्टर दिल्ली के अस्पताल में अपनी सेवाएं भी दे रहा था। उसे यह अच्छे से पता था कि कैंसर की दवाएं काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए वह कुछ साथियों के साथ मिलकर नक़ली दवाओं के उत्पादन में शामिल हो गया।

दिल्ली के इस मामले में नक़ली दवाओं की पैकेजिंग, पैकेट और मशीनरी उपकरण भी बड़ी तादाद में बरामद किए गए। यानी दवा बनाने से लेकर इसके देशव्यापी वितरण को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा था। जब राजधानी दिल्ली में यह सब हो सकता है तो देश के बाक़ी हिस्सों में इस तरह के अवैध कारोबार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में ड्रग कंट्रोल विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठता है।

ऐसे समय में जब देश के आम नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए पूरा चिकित्सा तंत्र एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है, राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से नक़ली दावाओं के कारोबार की ख़बरों का आना बेहद चिंताजक है।

ऐसे समय में जब देश के आम नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए पूरा चिकित्सा तंत्र एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा हैं, राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से नकली दावाओं के कारोबार की ख़बरों का आना बेहद चिंताजक हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से कहता आ रहा है कि भारत सहित एशियाई देशों के दस प्रतिशत से अधिक दवा उत्पाद नक़ली हैं। मगर राजधानी दिल्ली सहित देश के महानगरों में मानक रहित गुणवत्ताहीन दवाओं के थोक विक्रय बाज़ार निर्मित हो चुके हैं। दवा माफिया इन बाज़ारों को संचालित कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में नक़ली दवा का कारोबार पैंतीस फ़ीसद तक जा पहुंचा है। कारण यही निकल कर सामने आता है कि ड्रग विभाग की निगरानी एवं जांच की प्रक्रिया ढीली है।

जब इतनी बड़ी मात्रा में नक़ली दवाओं के कैप्सूल फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हों, विदेशों तक में आपूर्ति हो रही हो, ऑनलाइन बेचने का भी पूरी व्यवस्था बनाई गई हो, तो फिर यह ड्रग कंट्रोल विभाग की पकड़ से कैसे बाहर हो सकता है? हमारे देश में नक़ली दवाओं के कारोबार के अलावा दवाओं के निर्माण से लेकर उनके विक्रय तक पूरा उद्योग विसंगतियों से भरा पड़ा है। दवाओं की गुणवत्ता परखने वाली त्वरित प्रयोगशालाओं की कमी है।

देश की जनसंख्या, दवाओं के निर्माण और खपत के आधार पर इनके विस्तार पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है। देश में मात्र तीन दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जहां से परीक्षण रिपोर्ट कम से कम छह माह की अवधि में मिलती है। राज्यों में दवा निरीक्षकों के सत्तर फ़ीसद पद खाली हैं, इसलिए दवाओं की दुकानों पर अब नियमित जांच नहीं होती। निश्चित तौर पर यह जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है।

जानकारों का कहना है कि मुख्य रूप से महंगी दवाओं में नक़ली का खेल चल रहा है। कैंसर और किडनी के इलाज में प्रयुक्त होने वाले एक इंजेक्शन की क़ीमत एक लाख से लेकर पांच लाख तक की होती है। बाज़ार के जानकारों की माने तो बाज़ार के कुछ बड़े थोक व नामी विक्रेता इस खेल में शामिल हैं। इसमें अधिकतर वे लोग हैं

जब इतनी बड़ी मात्रा में नकली दवाओं के कैप्सूल फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हों, विदेशों तक में आपूर्ति हो रही हो, ऑनलाइन बेचने का भी पूरी व्यवस्था बनाई गई हो, तो फिर यह ड्रग कंट्रोल विभाग की पकड़ से कैसे बाहर हो सकता है? हमारे देश में नकली दवाओं के कारोबार के अलावा दवाओं के निर्माण से लेकर उनके विक्रय तक पूरा उद्योग विसंगतियों से भरा पड़ा है। दवाओं की गुणवत्ता परखने वाली त्वरित प्रयोगशालाओं की कमी है।

जो पेटेंट वह महंगी दवाओं का कारोबार करते हैं। इसमें पूरा गिरोह काम करता है और इसमें ड्रग विभाग की मिली-भगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

नक़ली दवाओं का कारोबार बिना थोक दुकानदार की मिली-भगत से नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि अमुक दवा कंपनी के कर्ता-धर्ता कौन हैं और उसे कहां से दवा मंगानी है। आम लोगों के लिए नक़ली दवाओं की पहचान आसान नहीं है, क्योंकि इसके रैपर और पैकिंग किसी ब्रांडेड दवा कंपनी और उसके उत्पाद के हूबहू होती है। ऐसे में ड्रग कंट्रोल विभाग की जबाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है।

दवाओं के संबंध में आमतौर पर दो तरह के मामले सामने आते हैं। एक, जिसकी गुणवत्ता ठीक न हो। ऐसी दवा में ज़रूरी मालिक्यूल निर्धारित मात्रा से कम हो सकते हैं या पैकेजिंग ठीक नहीं होने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। दूसरी नक़ली दवाएं, जिसमें असली मालिक्यूल न हों, किसी अन्य चीज़ से तैयार की गई हो। अभी जो नक़ली दवा पकड़ी गई है उनमें स्टार्च भरा हुआ था।

कुल मिलाकर यह बेहद गंभीर समस्या है और इसमें समय गंवाए बिना कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन मामलों पर रोक लगाने के लिए आमजन को जागरूक होने के साथ ही राज्य व केंद्र सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। ड्रग कंट्रोल को फैक्ट्री व केमिस्ट की दुकान पर सर्विलांस बढ़ाने की ज़रूरत है। कई बार लाइसेंस लेकर कुछ दिनों तक मानक के अनुरूप दवा बनाने के बाद फैक्ट्री संचालक इस काले कारनामे से जुड़ जाते हैं और मरीज़ों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर समय-समय पर ड्रग कंट्रोलर फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करेंगे तो फैक्ट्री मालिक किसी भी अवैध गतिविधि को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेंगे, क्योंकि अनियमितता मिलने से उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है।

ड्रग कंट्रोल विभाग को चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर अधिक से अधिक संख्या में सैंपल उठाएं ताकि बाज़ार में नक़ली दवाओं के पहुंचते ही उसकी पहचान कर उसे ज़ब्त किया जा सके। दवाओं की गुणवत्ता जांच और उसकी निगरानी में ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी भी आड़े आती है, इसलिए दवा फैक्ट्री व दवा दुकानों की संख्या के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए।

हमारे देश के क़ानून में नक़ली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ़ सख्त सज़ा का प्रावधान है, इसके तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर कुछ वर्षों से लेकर लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। नक़ली दवाओं के मामले में मृत्युदंड के प्रावधान पर भी विचार किया गया था, लेकिन इसका प्रावधान नहीं हो पाया। आजीवन कारावास का प्रावधान होने के साथ-साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था ताकि मामलों पर जल्दी सुनवाई पूरी कर कार्रवाई हो सके। ऐसे आपराधिक कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसा अपराध करने की हिम्मत न जुटा सकें। ■■

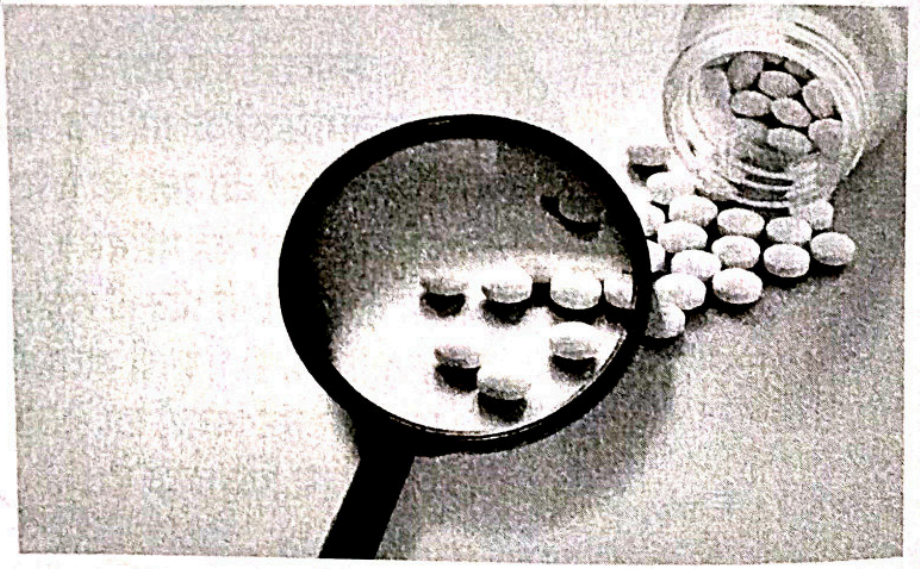

रोज़े का आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व

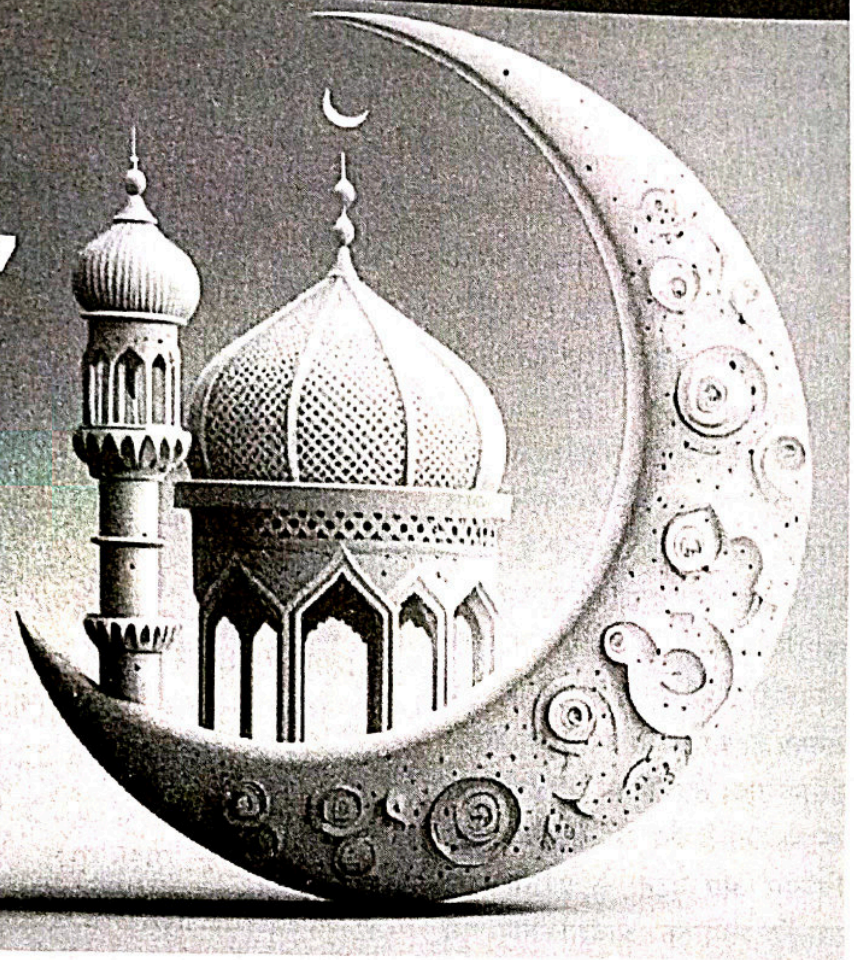

विशेष



मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

रोज़ा (उपवास) इस्लाम के पांच मूल-स्तंभों में से एक है। जो इसकी अनिवार्यता को नकार दे, वह इस्लाम से स्वतः निष्कासित हो जाता है। भोर से संध्या तक 'अन्न, जल, यौन क्रिया' छोड़े रहना इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि इस्लाम पर "बरक़रार रहना" इस "छोड़े रहने" पर आश्रित हो जाए ? इस प्रश्न का सादा-सा जवाब यह है कि प्रत्यक्षतः खान-पान एवं यौन-क्रिया को तज देने की यह प्रक्रिया इंसान के व्यक्तित्व से लेकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुधारने और मज़बूत बुनियादों पर निर्मित करने का एक अद्भुत ईश्वरीय प्रयोजन है।

यह हर ग्यारह महीने बाद क्रियाशील होता है और एक महीने की तपस्या से हर व्यक्ति को गुज़ारकर अगले ग्यारह महीनों तक उत्तम नैतिक आधारों पर समाज को बनाने और चलाने का प्रावधान कर जाता है। इस्लाम में रोज़े का इतना महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि यह एक ही समय में व्यक्ति एवं समाज को, ईश्वर के आज्ञापालन द्वारा उससे संबंध घनिष्ठ, लाभदायक एवं हितकारी बना देता है।

'रोज़ा' के लिए इस्लाम के मूल ईश-ग्रंथ क़ुरआन में 'सौम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'रुक जाना' और पारिभाषिक अर्थ है ईश्वर की अवज्ञा (नाफ़रमानी), जैसे बुराई, बदी, झूठ, धोखा, परनिंदा, अपशब्द, अत्याचार, निर्लज्जता, हराम कार्य, व्यभिचार, लांछन आदि दोषों एवं दुष्कर्मों से रुक जाना।

रोज़े की वास्तविकता

रोज़ा आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण कैसे है, यह जानने के लिए संक्षेप में रोज़ों की वास्तविकता को समझ लेना सहायक होगा। 'रोज़ा' के लिए इस्लाम के मूल ईश-ग्रंथ क़ुरआन में 'सौम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'रुक जाना' और पारिभाषिक अर्थ है ईश्वर की अवज्ञा (नाफ़रमानी), जैसे बुराई, बदी, झूठ, धोखा, परनिंदा, अपशब्द, अत्याचार, निर्लज्जता, हराम कार्य, व्यभिचार, लांछन आदि दोषों एवं दुष्कर्मों से रुक जाना। क़ुरआन (2:183) में रोज़े को अनिवार्य करते हुए इसका मूल-ध्येय

'तक़वा' बताया गया है। 'तक़वा' का शाब्दिक अर्थ है 'बचना' (संयम और आत्म-नियंत्रण); और इसका पारिभाषिक अर्थ है, उपर्युक्त दोषों एवं दुष्कर्मों से बचना। इसके लिए रोज़ों का एक महीना ईश्वरीय प्रावधान से व्यक्ति एवं समाज के लिए संयम एवं आत्म-नियंत्रण का 'प्रशिक्षण मास' बनाया गया है।

रोज़े का आध्यात्मिक महत्व

सारे जीवधारियों में 'शरीर' और 'प्राण', दो मूल तत्व होते हैं, परन्तु मनुष्य में एक तीसरा तत्व 'आत्मा' का भी होता है, जो मनुष्य को सारे जीवधारियों से उत्तम, उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ बनाता है। शरीर और आत्मा का धारक इंसान उत्तम तथा लाभकारी उसी वक़्त बन सकता है जब उसके आध्यात्मिक विकास और दृढ़ता के प्रावधान को उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने के प्रावधान से अधिक महत्व प्राप्त हो। आध्यात्मिकता का उद्गम स्रोत और केन्द्र 'ईश्वर' है। इंसान और समाज जितना अधिक ईशपरायण होगा, ईश-संवेदनशीलता तथा ईश-चेतना उसमें जितनी ज़्यादा तथा सक्रिय होगी, मनुष्य का चरित्र उतना ही श्रेष्ठ होगा और ऐसे मनुष्यों से बना समाज उतना ही शान्तिमय, न्यायपूर्ण एवं परोपकारी होगा। रोज़े की अद्भुत प्रभावशीलता ऐसे इंसान और समाज बनाने में अति सहायक होती है।

ईश्वर से घनिष्ठ संबंध इंसान के व्यक्तित्व के आध्यात्मिक पहलू का प्रारूपण, संचालन, विकास तथा क्रियान्वयन करता है। रोज़ेदार इंसान हर क्षण मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से जागृत एवं सजग रहता है कि ईश्वर उसे देख रहा है। प्यास से बदहाल हो तब भी कुल्ली करते समय एक घूंट बल्कि एक बूंद भी पानी गले से नीचे उतरने न देने का आत्मिक बल रोज़ेदार को ईश्वर से आध्यात्मिक संबंध मज़बूत करने में सफल बना देता है। कोई भी देख न रहा हो, किसी को भी मालूम न होने पाए और रोज़ेदार एकांत में खाना-पानी ले सकता है; पति-पत्नी यौन-संबंध से आनंदित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मात्र इस कारण से रुके रहते हैं कि ईश्वर ने रुके रहने का आदेश दिया है। ऐसे क्षण बार-बार आते हैं और ईश-चेतना एवं ईशपरायणता की पराकाष्ठा तक रोज़े को पहुंचाते रहते हैं। खाना, पीना और यौन-क्रिया, ईश्वर की सृष्टि-योजना का मूल तथा अभिन्न अंग है, वैध, हलाल तथा अभीष्ट हैं। इन्हें भी रोज़े की हालत में अवैध, हराम, वर्जित करके ईश्वर इंसान में यह प्रेरणा उत्पन्न कर देता है कि ईश्वर का आदेश होने पर हलाल चीज़ें (भोजन-पानी) और हलाल काम (यौन-क्रिया) भी हमने छोड़ दिया तो जिन ग़लत, बुरे क्रिया-कलापों और चीज़ों से उसने रोक दिया है, उन्हें छोड़ देना तो हमारे लिए बहुत आसान है।

इस्लाम की तीन अन्य इबादतों, (मूल स्तंभों) नमाज़, ज़कात, हज की तरह रोज़े की अनिवार्य इबादत का आध्यात्मिक एवं नैतिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक महत्व भी बहुत हैं। रोज़े के ज़रिए से इंसान में जो अनेकानेक आध्यात्मिक एवं नैतिक गुण उत्पन्न होते हैं, वे उत्तम एवं आदर्श समाज के निर्माण तथा सामाजिक दोषों एवं दुर्गुणों के सुधार में अपनी भूमिका परोक्षतः तो निभाते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं।

रमज़ान के महीने में अधिक से अधिक इबादत, क़ुरआन पाठ; मन-मस्तिष्क, भावनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण, ईशाज्ञापालन में तत्परता, ईश्वर की प्रसन्नता अर्जित करने, मृत्यु-पश्चात स्वर्ग प्राप्त करने की ललक तथा हर क्षण सत्य-निष्ठा का लगातार प्रशिक्षण इंसान तथा समाज के आध्यात्मिक स्तर को निरन्तर विकसित करता रहता है, जिसका लाभ व्यक्ति तथा समाज अगले ग्यारह महीनों तक उठाता रहता है।

रोज़े का नैतिक महत्व

नैतिकता इंसान की बहुमूल्य संपत्ति (asset) है। ईश्वर ने इसी लिए इंसानों की मूल-प्रकृति (instinct) में सारे नैतिक मूल्य सृजित कर दिए और उन्हें इस स्वभाव पर पैदा किया कि 'करने के कामों' (Do's) और 'न करने के कामों' (Don'ts) की समझ तथा इच्छा-शक्ति उनकी प्राथमिकता बना दी। जिन कामों में नैतिक गुण हैं (जैसे सच बोलना, परोपकार, न्याय-प्रियता, पर-सेवा भाव, सत्य-निष्ठा, ईमानदारी, अमानतदारी आदि) उनके प्रति तत्परता, और जिन कामों में नैतिक दोष हैं (जैसे झूठ, धोखा, अन्याय, अत्याचार, चोरी, व्यभिचार, अश्लीलता, क्रूरता, शोषण आदि) उनके प्रति दूरी एवं परिहार (avoidance) बरतना मानव-स्वभाव को अंग बना दिया।

लेकिन कुछ आंतरिक कारणों और कुछ वाह्य कारकों से मूल नैतिक गुणों में ह्रास एवं विघटन होने लगता है। इंसान की इच्छा-शक्ति इस विघटन को रोक नहीं पाती तथा उसका मनोबल

बुराई की तीव्र गति के समक्ष ठहर नहीं पाता। तब फिर ऐसा विकार उत्पन्न होता है जो नैतिक गुणों को ऐसे खा जाता है जैसे ज़ंग, लोहे को। ऐसी स्थिति के लिए विशुद्ध ईश्वरीय धर्म ने अनेक प्रावधान किए हैं, उनमें से एक 'रोज़ा' है। यह don't s से रुकने और do's को करने का, एक मास का प्रचुर प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का एक प्रसिद्ध आदेश है- 'किसी व्यक्ति ने रोज़ा रखकर भी झूठ और बुरा बोलने से स्वयं को न रोका तो अल्लाह को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वह भूखा-प्यासा रहा।' (भावार्थ) इस संक्षिप्त-सी शिक्षा में 'झूठ बोलना' प्रतीकात्मक शैली में कहा गया है। इसका वास्तविक अभिप्राय हर वह ग़लत बात या काम या आचरण है जिसे मूल नैतिक मूल्य के तौर पर इंसान की मूल-प्रकृति नापसंद करती है और विशेषतः सत्य-धर्म की शिक्षाओं एवं आदेशों में ईश्वर ने जिससे 'रुक जाने' (अर्थात् 'सौम', रोज़ा), तथा 'बचने' (अर्थात् 'तक़वा', रोज़े का अस्ल मक़सद) को कहा है। इस तरह ज़रा-सी गहराई में उतरकर देखने और विचार करने से बात सरल रूप में समझ में आ जाती है कि ईश्वर अपने बन्दों से अत्यधिक प्रेम करने के बावजूद उन्हें 29-30 दिनों तक भूख-प्यास से गुज़ारकर वास्तव में उनके नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास करता है।

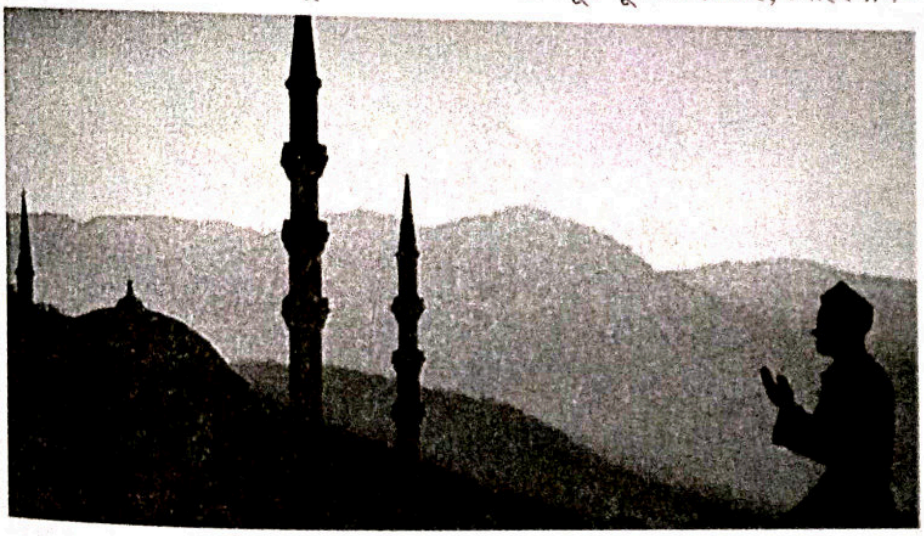

रोज़े का सामाजिक महत्व

इस्लाम की तीन अन्य इबादतों, (मूल स्तंभों) नमाज़, ज़कात, हज की तरह रोज़े की अनिवार्य इबादत का आध्यात्मिक एवं नैतिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक महत्व भी बहुत है। रोज़े के ज़रिए से इंसान में जो अनेकानेक आध्यात्मिक एवं नैतिक गुण उत्पन्न होते हैं, वे उत्तम एवं आदर्श समाज के निर्माण तथा सामाजिक दोषों एवं दुर्गुणों के सुधार में अपनी भूमिका परोक्षतः तो निभाते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उदाहरणार्थ–

• रोज़ेदार रोज़ा रखते हुए समाज के लोखों ग़रीब परिवारों के करोड़ों सदस्यों से जुड़ने और उनके प्रति योगदान, सहयोग एवं सहानुभूति के परमार्थ कामों में मुस्लिम समाज एक माह तक व्यस्त रहता है।

• बीमार रहने के कारण रोज़ा न रखने वालों को एक दिन के प्रतिदान में समाज के ग़रीब लोगों को एक दिन दो समय का (तीस दिन रोज़ा छूटे तो तीसों दिन) खाना खिलाने का आदेश है। इस प्रकार समाज में स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलने एवं परमार्थ एवं परहित में अग्रसर होने की परम्परा बनती है।

• कोई व्यक्ति बुरा-भला कहने, अपशब्द बोलने, लड़ाई-झगड़ा करने पर आ जाए तो आदेश है कि प्रतिक्रिया में क्रोधित एवं उद्वेलित न हुआ जाए, बल्कि यह कहकर बात टाल दी जाए और वहां से हट जाया जाए कि 'भाई! मैं रोज़े से हूं।'

• तीस दिन तक रोज़ा रखने की स्थिति में ज़बान से, आंख से, कान से कुछ ग़लत, अनुचित, बुरी बातें बोलने, देखने, सुनने की छोटी-मोटी ग़लतियां हो ही जाती हैं। इसके प्रायश्चित को भी इस्लामी शरीअत ने समाज के निर्धन एवं वंचित लोगों के हितार्थ काम से जोड़ दिया है। आदेश है कि हर व्यक्ति रोज़े ख़त्म होने और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले शरीअत द्वारा निर्धारित मात्रा में धन/सामग्री से ग़रीबों को दान दे ताकि वे भी अच्छी तरह ईद की ख़ुशियां मना सकें। यह न किया तो चेतावनी दी गई है कि तीस दिन के रोज़ों की तपस्या ईश्वर तक न पहुंचेगी, अधर में लटकी रहेगी।

• समाज में यौन-अनाचार, चरित्रहीनता एवं व्यभिचार फैलने की प्रवृत्ति पर रोज़ों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से रोक लगाने में सफलता मिलती है। वासना, कामेच्छा, यौन-उत्तेजना को नियंत्रण में रखने का ऐसा प्रभावी, एक-मासीय प्रशिक्षण दिया जाता है कि रोज़ा रखते हुए पति-पत्नी भी यौन-क्रिया से दूर रहते हुए संयम एवं आत्म-नियंत्रण अर्जित कर लेते हैं।

उपरोक्त दो उप-विषयों के अन्तर्गत आध्यात्मिक एवं नैतिक स्तर पर रोज़े इंसान में जो गुण उत्पन्न करते हैं उनका एक अच्छा, सभ्य, शालीन, शान्तिपूर्ण, हितकारी एवं परोपकारी समाज बनाने तथा समाज से बुराइयां दूर करने में काफ़ी योगदान होता है। ■■

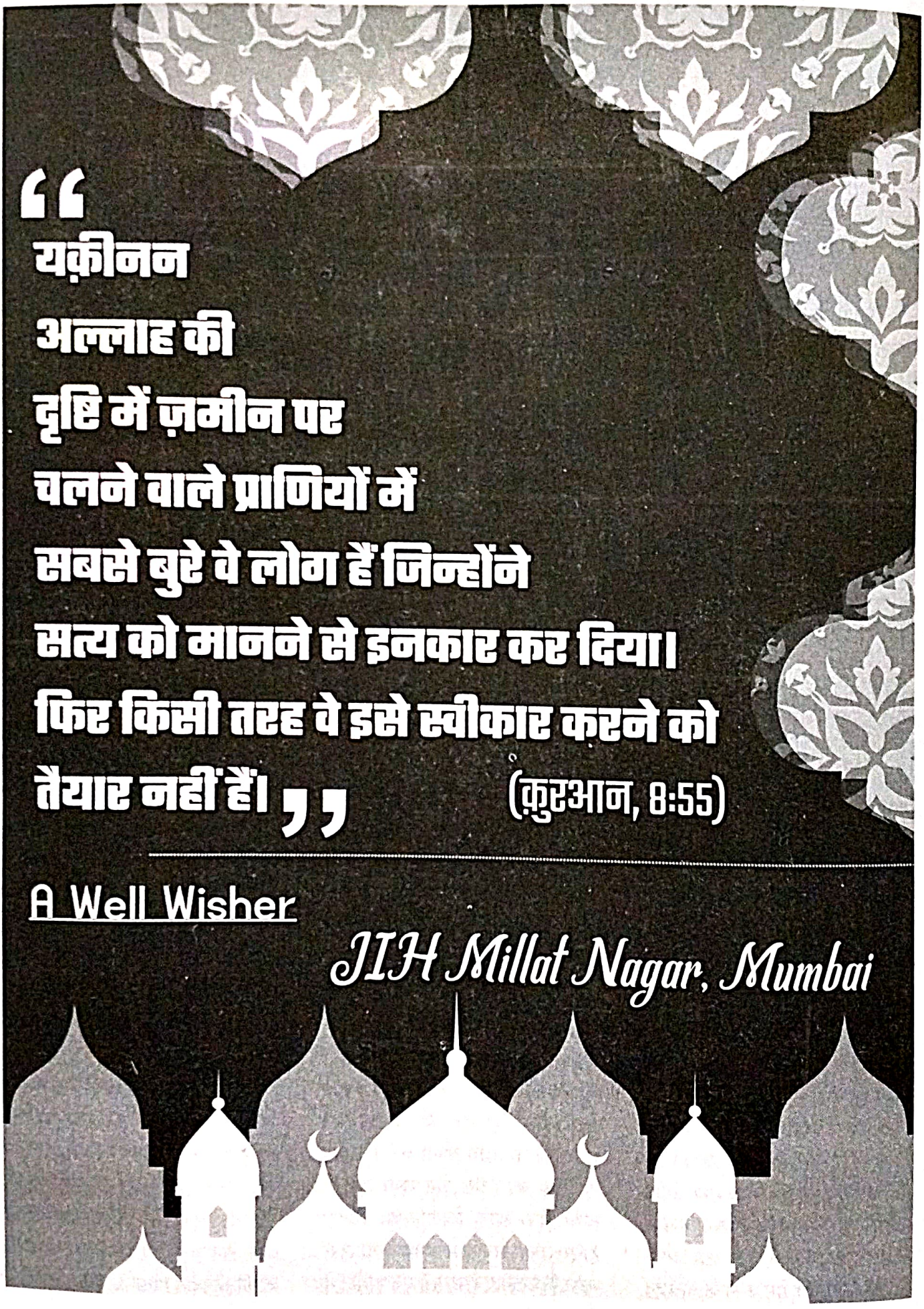
“
यक़ीनन
अल्लाह की
दृष्टि में ज़मीन पर
चलने वाले प्राणियों में
सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने
सत्य को मानने से इनकार कर दिया।
फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को
तैयार नहीं हैं। ”
(क़ुरआन, 8:55)
A Well Wisher
IIH Millat Nagar, Mumbai



महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण

भारत में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 15.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की 4,28,278 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 2020 में 3,71,503 शिकायतें दर्ज हुई थीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से यह भी उजागर होता है कि प्रति एक लाख की आबादी पर महिलाओं के विरुद्ध जुर्म 2020 में 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 64.5 प्रतिशत हो गई हैं। इनमें ज़्यादातर शिकायतें (31.8 प्रतिशत) पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की हैं। इसके बाद 20.8 प्रतिशत शिकायतें महिलाओं की गरिमा को भंग करने की मंशा से उन पर आक्रमण करने की हैं। 17.6 प्रतिशत शिकायतें अपहरण की और 7.4 प्रतिशत बलात्कार की हैं। यह केवल वो आंकड़े हैं जो दर्ज हो पाए हैं। ऐसे अनगिनत अपराध आए दिन महिलाओं के विरुद्ध होते हैं जिनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती।

महिला जगत



प्रो. शेख़ मोईन
शेख़ नईम

आज हम देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम हेतु सख़्त से सख़्त क़ानून बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु करोड़ों रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं, साक्षरता का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा हैं, मगर उपरोक्त आंकड़े इन सभी पहलुओं को मुंह चिढ़ाते नज़र आते हैं। आख़िर क्या वजह है कि इतने सख़्त क़ानून और प्रयास होने के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे? इसका मूल कारण यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क़ानून और सरकारें मनुष्य के सिर्फ़ बाह्य बरताव को नियंत्रित करते हैं, जबकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण की अधिक आवश्यकता है। ज़रूरत उस शिक्षा और व्यवस्था की भी है जो महिलाओं को उनके अस्ल स्थान पर रखती है, जो महिलाओं के प्रति पुरुष के दिल में ईश्वर का डर बिठाती है। यही शिक्षा और व्यवस्था इस्लाम देता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम का सबसे व्यावहारिक और कारगर उपाय इस्लाम साढ़े चौदह सौ साल पहले ही प्रस्तुत कर चुका है, जिसमें मनुष्य पर बाह्य नियंत्रण के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण की भी उचित व्यवस्था की गई है।

आजकल बड़े पैमाने पर हम

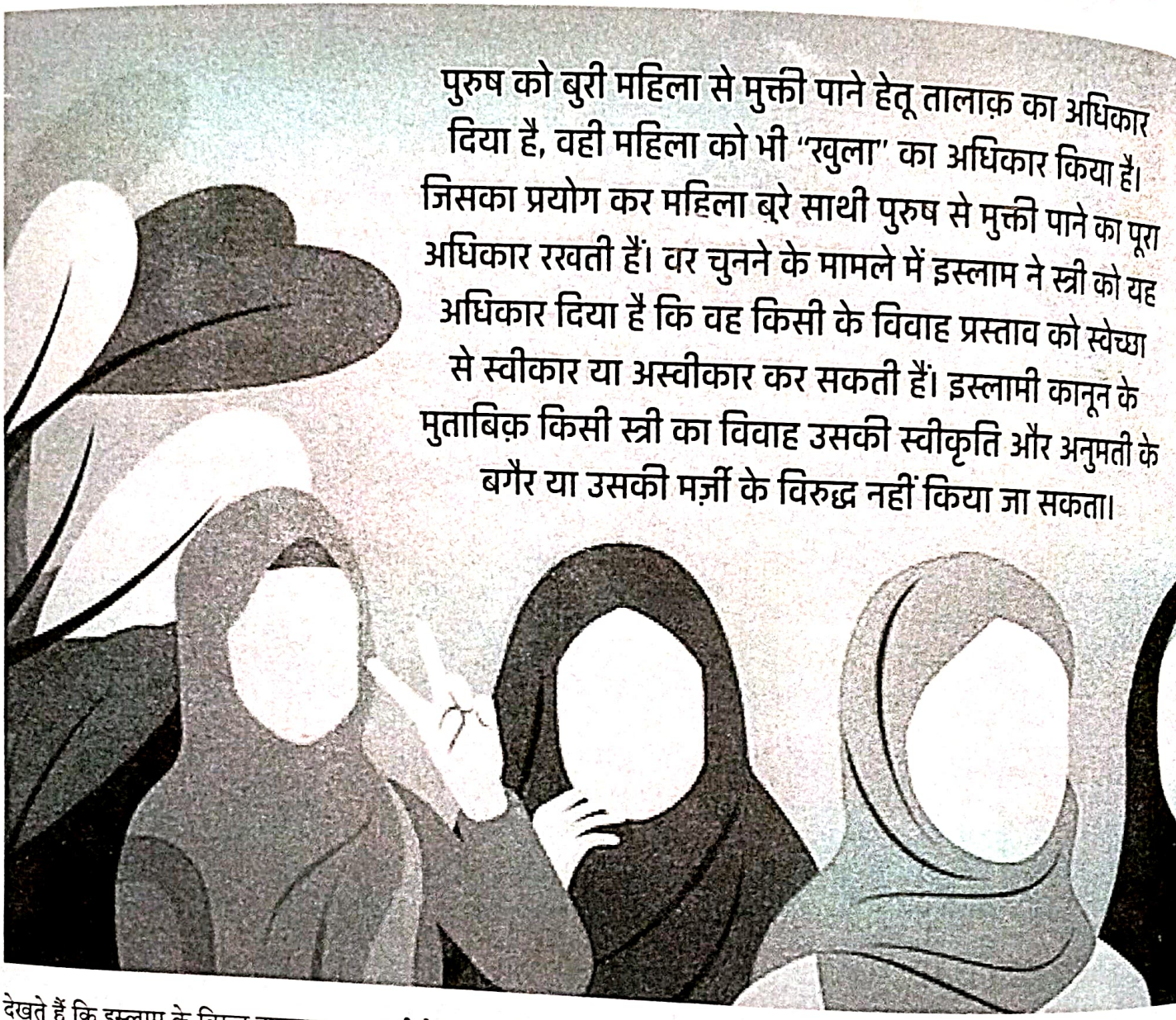

पुरुष को बुरी महिला से मुक्ती पाने हेतू तालाक़ का अधिकार दिया है, वही महिला को भी "खुला" का अधिकार किया हैं। जिसका प्रयोग कर महिला बुरे साथी पुरुष से मुक्ती पाने का पूरा अधिकार रखती हैं। वर चुनने के मामले में इस्लाम ने स्त्री को यह अधिकार दिया हैं कि वह किसी के विवाह प्रस्ताव को स्वेच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक़ किसी स्त्री का विवाह उसकी स्वीकृति और अनुमती के बगैर या उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।

देखते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार, अधूरी जानकारी, सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करने जैसे आदि कारणों की वजह से लोगों की धारणा यह बन गई है कि इस्लाम में महिलाओं को काफ़ी शोषण, दमन और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। मगर क्या वाक़ई ऐसा है? क्या करोड़ों की संख्या में मुसलमान इतने अत्याचारी, ज़ालिम और दमनकारी हैं? या फिर इन ग़लत धारणाओं को पक्षपाती मीडिया, इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार और अधूरी जानकारी ने जन्म दिया है? इस्लाम के संदर्भ में यह ग़लतफ़हमी पाली और फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है, जबकि हक़ीक़त इससे बिल्कुल उलट है। जब हम निष्पक्ष होकर इस्लाम का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस्लाम ने औरत को साढ़े चौदह सौ वर्ष पहले वह स्थान और अधिकार दिए हैं जो 21वीं सदी के क़ानून निर्माता भी नहीं दे पाए। इस्लाम एक सार्वत्रिक और सर्वकालीन धर्म है और इसमें महिलाओं को समानता के जितने अधिकार प्रदान किए गए हैं उतने कहीं भी नहीं हैं। इस्लाम ने महिलाओं को उनका पूरा जायज़ हक़ और इंसाफ़ दिया है और उनके नारित्व की रक्षा की है। इस्लाम की नज़र में मानवीय हैसियत से अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के मामले में महिला पुरुष के बराबर है। इस्लाम में मां का स्थान तो यह बताया गया है कि उसके पैरों तले स्वर्ग है।

वर्ष 1930 में, एनी बेसेंट ने कहा था कि, "ब्रिटेन में संपत्ति में महिला के अधिकार को सिर्फ़ बीस साल पहले ही मान्यता दी गई है, जबकि इस्लाम में शुरुआत से ही महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है। यह कहना बेहद ग़लत है कि इस्लाम उपदेश देता है कि महिलाओं में कोई आत्मा नहीं है।"

(जीवन और मुहम्मद की शिक्षाएं, 1932)

कई बार इस्लाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम एक ऐसा



धर्म है जो महिला को पुरुष से कम अधिकार देता है। जबकि हक़ीक़त यह है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो औरत को मर्द से ज़्यादा अधिकार देता है। इसे केवल दो उदाहरण से समझा जा सकता है–

पहला यह कि इस्लाम ने महिलाओं को आजीविका की चिंता से मुक्त रखा है। यह उसके पति की ज़िम्मेदारी है कि वह उसके सारे ख़र्च पूरा करे। आजीविका की चिंता से बड़ा कोई सांसारिक बोझ नहीं है और अल्लाह (ईश्वर) ने महिलाओं को इससे पूरी तरह से मुक्त रखा है, विवाह से पहले यह महिलाओं के पिता की ज़िम्मेदारी है और विवाह के बाद पति की। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि महिला का किसी संपत्ति में निवेश या हक़ हो या उसकी संपत्ति आदि हो तो इस्लाम कहता है कि यह सिर्फ़ महिला का है उसके पति का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, जबकि पति को इस्लाम आदेश देता है कि जो आपने कमा और बचा रखा है यह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का भी इसमें हक़ है। यदि आपने उसका यह हक़ अदा न किया तो तुम्हें अल्लाह को इसका जवाब देना होगा।

इस्लाम ने औरत को एक ऐसे समय में इंसान का दर्जा दिया जब पैदा होते ही उसे जीने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, इस्लाम ने औरत को उस समय बराबरी का अधिकार दिया जब महिलाओं का वजूद केवल दिल बहलाने का सामान माना जाता था, इस्लाम ने उस समय मां के क़दमों तले जन्नत होने की ख़ुशख़बरी सुनाई जब औरत होना गुनाह समझा जाता था और इस्लाम ने साढ़े चौदह सौ साल पहले औरत को वह स्थान और अधिकार दिए हैं जो 21वीं सदी के क़ानून निर्माता भी नहीं दे पाए।

इस्लाम ने औरतों को सबसे पहले संपत्ति का और संपत्ति में अधिकार साढ़े चौदह सौ साल पहले ही दे दिया था। इस्लाम ने साढ़े चौदह सौ साल पहले महिला को बेटी के रूप में पिता की संपत्ति में और पत्नी के रूप में पति की संपत्ति में हिस्सेदार बनाया।

इस्लाम ने जहां पुरुष को बुरी महिला से मुक्ती पाने हेतु तलाक़ का अधिकार दिया है, वहीं महिला को भी "खुला" का अधिकार दिया है, जिसका प्रयोग कर महिला बुरे साथी पुरुष से मुक्ती पाने का पूरा अधिकार रखती हैं।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) से पहले ज़ालिम पति या बुरी पत्नी से मुक्ती कैसे मिले? इसका कोई जवाब या नियम किसी दर्शन के पास नहीं था।

पुरुषों को विधवा महिलाओं को उचित सम्मान देकर उनसे विवाह करने के लिए इस्लाम और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने प्रेरित किया है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने विधवा महिलाओं से स्वयं निकाह करके अपने अनुयायियों को दिखाया कि देखो मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। मैं सम्मान और हक़ दे रहा हूं, तुम भी दो। मुसलमानों के लिए विधवा और तलाक़शुदा महिलाओं से विवाह करना पैग़म्बर साहब की एक सुन्नत पूरी करना है जो बहुत सवाब (पुण्य) का काम है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की सभी पत्नियां (केवल एक को छोड़कर) विधवा एवं तलाक़शुदा थीं।

वर चुनने के मामले में इस्लाम ने स्त्री को यह अधिकार दिया है कि वह किसी के विवाह प्रस्ताव को स्वेच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ किसी स्त्री का विवाह उसकी स्वीकृति और अनुमति के बग़ैर या उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।

कोई पुरुष कितना अच्छा है? इसके मूल्यांकन का मापदंड इस्लाम ने उसकी पत्नी को बना दिया है। इस्लाम कहता है कि अच्छा पुरुष वही है जो अपनी पत्नी के लिए अच्छा है। अर्थात् पुरुष के अच्छे होने का मापदंड उसकी पत्नी है।

इस्लाम को लेकर लोगों की यह धारणा है कि इस्लाम में नारी की बहुत उपेक्षा है, मुसलमान एक से ज़्यादा विवाह करते हैं, नारी को भोग की वस्तु मात्र समझा जाता है। इस्लाम की ग़लत व्याख्या और दुष्प्रचार के कारण लोगों की यह धारणा बनी है, मगर इस्लाम ने नारी को पुरुष के बराबर अधिकार

दिए और बेहद ऊंचा स्थान दिया। उन्हें जीवन के हर भाग में अहमियत दी है। इस्लाम स्त्री को मां, पत्नी, बेटी, बहन और विधवा हर रूप में सम्मान देता है।

मां के रूप में

क़ुरआन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मां के प्रति कृतज्ञ होने का मतलब है ख़ुदा के प्रति कृतज्ञ होना। क़ुरआन में साफ़ लिखा है कि, "हमने मनुष्य को उसके मां-बाप के मामले में ताकीद की है। उसकी मां ने निढाल होकर उसे पेट में रखा और दो वर्ष उसके दूध छूटने में लगे। मेरे (ख़ुदा) प्रति कृतज्ञ हो और अपने मां-बाप के प्रति भी क्योंकि अंततः तुम्हें मेरी ओर ही आना है।"

क़ुरआन में यह भी कहा गया है कि, "मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें 'उफ़' तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे शिष्टतापूर्वक बात करो और उनके आगे दयालुता से नम्रता की भुजाएं फैलाए रखो और कहो, मेरे रब! जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, तू भी उन पर दया कर।"

पत्नी के रूप में

क़ुरआन में ईश्वर का आदेश है कि, पुरुष को अपनी पत्नी से भला व्यवहार करना चाहिए। पत्नी में कोई एक बुरी आदत के कारण पति को उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ अच्छी आदतें भी हो।

बेटी के रूप में

पैग़म्बर मुहम्मद साहब ने फ़रमाया है कि, "जिसने दो बेटियों का अच्छे से पालन-पोषन कर उनका अच्छी जगह निकाह करवा दिया, वह इंसान क़यामत के दिन हमारे साथ होगा। जिसने बेटियों की परवरिश के दौरान कष्ट उठाया और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा तो यह उसके लिए नरक के दरवाज़े बंद कर देगी।

बहन के रूप में

पैग़म्बर मुहम्मद साहब ने फ़रमाया है कि यदि किसी की तीन बेटियां या तीन बहनें हैं और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा।

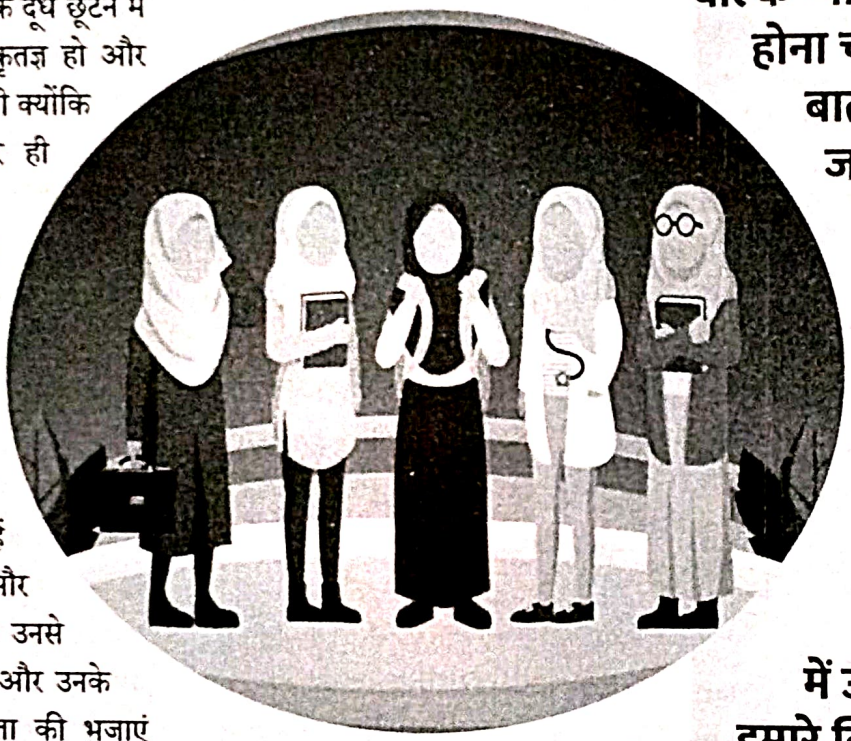

विधवा के रूप में

इस्लाम में विधवाओं की भावनाओं का न केवल बड़ा ख़याल रखा गया है, बल्कि उनकी देखभाल और उन पर ख़र्च करने को बड़ा पुण्य का काम बताया गया है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि, "विधवाओं और निर्धनों की देख-रेख करने वाला ऐसा है मानो वह हमेशा दिन में रोज़ा रख रहा हो और रात में इबादत कर रहा है।"

कोई भी क़ानून न केवल पुरुषों के हित में होना चाहिए न केवल महिलाओं के, बल्कि न्याय पर आधारित होना चाहिए और यही बात हमें इस्लाम में जगह-जगह नज़र आती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस्लाम की इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारें, ताकि वह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हों और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण।

इस्लाम ने साढ़े चौदह सौ साल पहले महिला को बेटी के रूप में पिता की संपत्ति में और पत्नी के रूप में पति की संपत्ति में हिस्सेदार बनाया। कोई भी क़ानून न केवल पुरुषों के हित में होना चाहिए न केवल महिलाओं के, बल्कि न्याय पर आधारित होना चाहिए और यही बात हमें इस्लाम में जगह जगह नज़र आती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस्लाम की इन शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से जीवन में उतारें, ताकि वह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हों और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण।

■■

महान राजनीतिक विचारक अल-फ़राबी

इबारत

संपादन प्रभाग

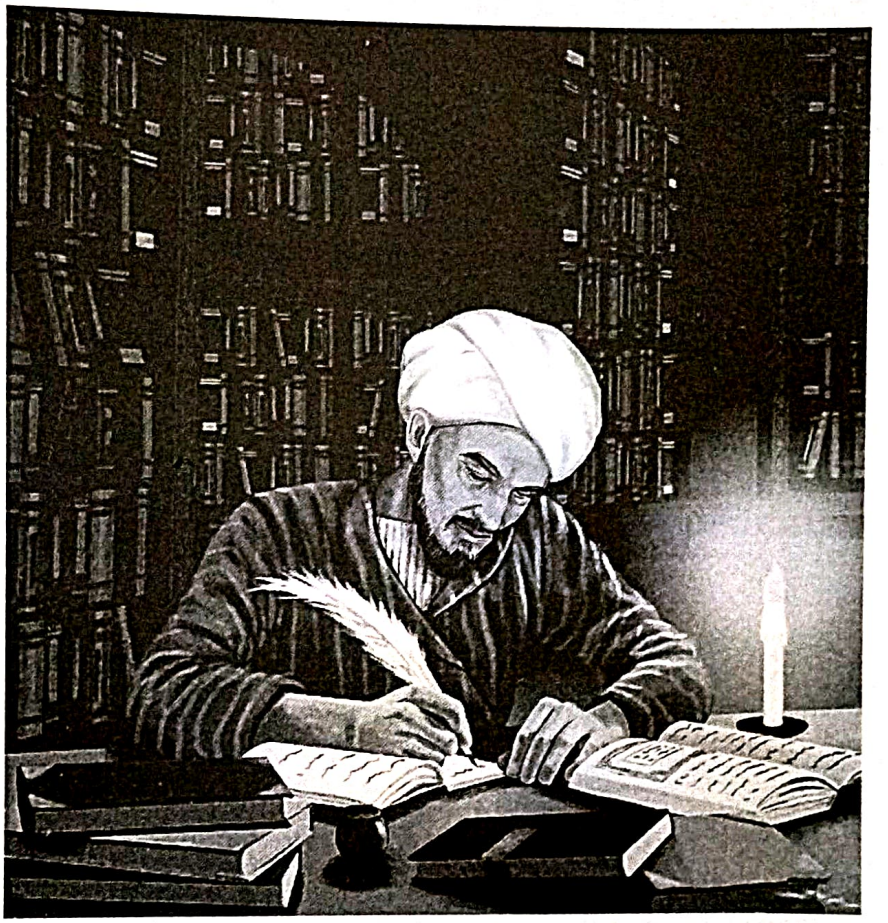

अबू नस्र अल-फ़राबी (कुछ स्रोतों में, मुहम्मद इब्न मुहम्मद इब्न तारखान इब्न उज़ालाघ अल-फ़राबी के रूप में जाना जाता है), जिन्हें पश्चिमी दुनिया में अल्फ़ाराबियस के नाम से भी जाना जाता है। अल-फ़राबी एक इस्लामी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। वह पहले इस्लामी दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन और धर्म के बीच अंतर किया और सत्य के स्रोत के रूप में रहस्योद्घाटन पर तर्क को प्राथमिकता दी। अल-फ़राबी का मानना था कि दार्शनिक स्वाभाविक रूप से राजनीतिक शक्ति चाहता है।

उन्होंने न सिर्फ़ अरस्तू और प्लेटो के विचारों को मध्य एशिया तक फैलाया बल्कि यूनानी दर्शनशास्त्र को संरक्षित और विकसित भी किया। उन्होंने दर्शन, गणित, संगीत और अध्यात्म विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक दर्शनशास्त्र में बेहतरीन काम किए। राजनीतिक दर्शन पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब 'आरा अहल अल-मदीना अल-फ़दिला' (The People's View of the Virtual City) है। इस किताब में अल-फ़राबी की न्याय पर आधारित एक व्यवस्था की व्याख्या है। सार-अस्तित्व की उनकी अवधारणा इब्ने सीना के तत्वमीमांसा का आधार बनी, जिसने बाद में थॉमस एक्विनास के ईसाई धर्मशास्त्र को प्रभावित किया।

अल-फ़राबी दर्शन और धर्म के बीच अंतर करने वाले पहले इस्लामी दार्शनिक थे। यह दावा करते हुए कि बौद्धिक धारणा पर आधारित तर्क, रहस्योद्घाटन और कल्पना से बेहतर था, उन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र जैसे जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में सत्य और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में दर्शन को प्राथमिकता दी। उन्होंने धर्म को सत्य के प्रतीकात्मक प्रतिपादन के रूप में देखा और क़ुरआन की शिक्षाओं को दार्शनिक सत्य के साथ समेटने का लक्ष्य रखा।

अल-फ़राबी को अरबी दुनिया में 'दूसरा शिक्षक' (अल-मौलीम अल-थानी) के रूप में जाना जाता था, अरस्तू पर उनकी विस्तृत टिप्पणियों और तर्कशास्त्र में उनके काम के कारण अरस्तू 'प्रथम शिक्षक' थे। उन्होंने तर्क को दो अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया- 'विचार' (तख़य्युल) और 'प्रमाण' (शुबूत)।

अल-फ़राबी का जन्म 870 ईस्वी में हुआ था। उनके जातीय मूल के अलग-अलग ऐतिहासिक विवरण हैं, उनके बारे में सबसे पहले ज्ञात दस्तावेज़ अल-फ़राबी की मृत्यु के लगभग 300 साल बाद लिखे गए थे। उनकी विरासत के बारे में सबसे पुराने ज्ञात दस्तावेज़ों से मालूम होता है कि अल-फ़राबी के पिता

फ़ारसी वंश के थे।

यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि फ़राबी उच्च अध्ययन के लिए 901 में बग़दाद पहुंचे। उन्होंने कई भाषाओं और ज्ञान के क्षेत्रों में महारत हासिल की। अल-फ़राबी छह अब्बासिद ख़लीफ़ाओं के शासनकाल के दौरान जीवित रहे। उन्होंने मिस्र, दमिश्क, हारान और अलेप्पो (हलब) की यात्रा की लेकिन हमेशा बग़दाद लौट आए। उनकी मृत्यु लगभग 950 ई.में हुई।

अल-फ़राबी के बारे में कई



किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह सत्तर भाषाओं के विशेषज्ञ थे, और वह एक कीमियागर (रसायनशास्त्री) थे, जिन्होंने अपना जीवन चिर यौवन और सोना बनाने के फार्मूले की खोज में बिताया।

अल-फ़राबी ने ज्ञानमीमांसा के अपने जटिल सिद्धांत में अरिस्टोटेलियन और नेपोलाटोनिक दोनों तत्वों को शामिल किया। उनके रिसाला फ़ि'एल-'अक्ल ने बुद्धि (एक्यूएल) को छह प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया : विवेक, या विवेक; सामान्य ज्ञान, जो स्पष्ट को पहचानता है; प्राकृतिक धारणा, जो मौलिक सत्यों के बारे में निश्चितता की अनुमति देती है; विवेक, जो अच्छे और बुरे में अंतर करता है, और जीवन के अनुभव से प्राप्त होता है; बुद्धि; और दिव्य कारण, सभी बौद्धिक ऊर्जा और शक्ति का स्रोत। उन्होंने पांचवीं श्रेणी, बुद्धि को चार प्रकारों में विभाजित किया: संभावित बुद्धि (अक़्ल बि'ल-क़ुव्वा), वास्तविक बुद्धि (अक़्ल बि'ल-फ़िल), अर्जित बुद्धि (अक़्ल मुस्तफ़द), और सक्रिय बुद्धि (अक़्ल अल-फ़ा अल)।

किताब इहसा' अल-उलूम उन सभी चीज़ों का एक विश्वकोशीय सर्वेक्षण था जिसके बारे में अल-फ़राबी का मानना था कि इसमें धार्मिक और दार्शनिक दोनों तरह का ज्ञान शामिल हो सकता है। पुस्तक में पांच अलग-अलग "विज्ञान" पर अध्याय हैं। भाषा, तर्क, गणित (अंकगणित, ज्यामिति, प्रकाशिकी, खगोल विज्ञान, संगीत, वज़न और यांत्रिकी), भौतिकी और तत्वमीमांसा और राजनीति विज्ञान (न्यायशास्त्र और शैक्षिक धर्मशास्त्र) का विज्ञान।

अल-फ़राबी का मानना था कि श्रेष्ठ प्राकृतिक क्षमता और अर्जित सद्गुणों वाले लोगों को सैद्धांतिक विज्ञान की शिक्षा और अच्छी आदतों के निर्माण के माध्यम से चरित्र के विकास के माध्यम से ख़ुद को परिपूर्ण करना चाहिए। हर अवसर पर यह संभव नहीं है कि मनुष्य के पास महान शक्ति के साथ कला, नैतिक गुण और विचारशील गुण होंगे। एक आदर्श राज्य प्राप्त करना असंभव है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

अल-फ़राबी ने गणित, दर्शन, चिकित्सा और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। हालांकि उनकी कई किताबें खो गई हैं, लेकिन 117 मौजूद हैं, जिनमें तर्क पर 43, तत्वमीमांसा पर 11, नैतिकता पर सात, राजनीति विज्ञान के बारे में सात, 11 टिप्पणियां और संगीत, चिकित्सा और समाजशास्त्र पर 17 शामिल हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम, अल-मदीना अल-फ़दीला (द वर्चुअस सिटी), समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान पर एक ग्रंथ, अत्यधिक मौलिक था। किताब अल-इहसा अल-उलूम ने विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को विस्तृत किया और वर्गीकरण की एक प्रणाली का सुझाव दिया। उन्होंने संगीत पर एक उल्लेखनीय पुस्तक किताब अल-मुसिका (द बुक ऑफ़ म्यूजिक) भी लिखी। अल-फ़राबी को भौतिकी में शून्य के अस्तित्व के प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। अल-फ़राबी की कुछ कृतियों का लैटिन और हिब्रू में अनुवाद किया गया था। ■■

ऐसे करें मधुमेह पर वार

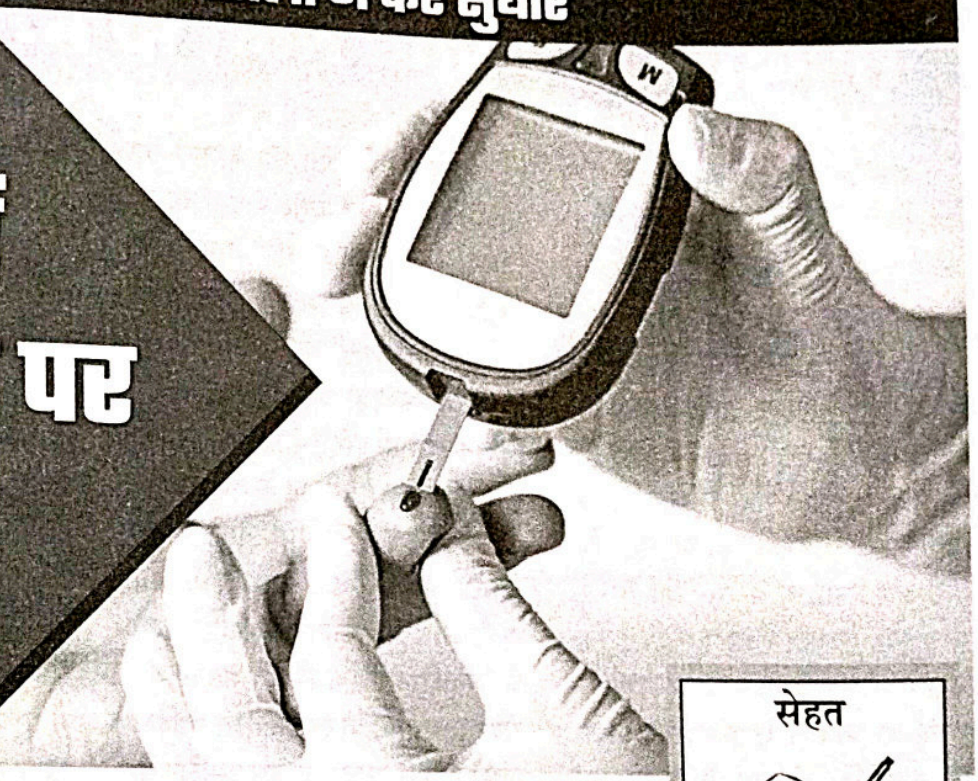

सेहत

संपादन प्रभाग

आज के समय में तो डायबिटीज (मधुमेह) होना बहुत ही आम बात है। डायबिटीज में लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर ज़्यादा रहता है। रक्त में शर्करा का स्तर उच्च रहने के कारण बार-बार पेशाब आने, प्यास लगने और भूख में वृद्धि होने की समस्या होने लगती है। डायबिटीज के कारण व्यक्ति का अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रही तो रोगी को अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है।

मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाए, तो व्यक्ति को बहुत-सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पहले इसे बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आजकल यह जवानी और बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। इसे 'साइलेंट' किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षणों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता।

"मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाए, तो व्यक्ति को बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पहले इसे बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आजकल यह जवानी और बच्चों को भी प्रभावित कर रही है। इसे 'साइलेंट' किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षणों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता।"

चार गुना बढ़े मधुमेह रोगी

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में 42.2 करोड़ लोग मधुमेह (डायबिटीज) के शिकार हैं। इनको संख्या में बीते 40 वर्षों में चार गुना वृद्धि केवल 2016 में लगभग 16 लाख लोगों की मौत मधुमेह के कारण से हुई थी।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, 20 से 79 वर्षीय लोगों की होने वाली नौ मौतों में से एक में मधुमेह का योगदान होता है। इससे बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना महत्वपूर्ण है। यह सही आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने के माध्यम से संभव है कि आप मधुमेह से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी के शिकार हो

सकते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए ताकि सही उपचार शुरू किया जा सके।

एक अध्ययन के अनुसार, 20 से 79 वर्ष के बीच के लोग तेज़ी से मधुमेह का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में विश्व भर में 537 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित थे और यह आंकड़ा 2030 तक 643 मिलियन तक बढ़ सकता है। साथ ही वर्ष 2045 तक यह आंकड़ा 783 पहुंचने का अनुमान जताया गया है। एक और रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में मधुमेह के कारण हुई 1.5 मिलियन मौत के मामलों में 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों का आंकड़ा 48 फ़ीसद था। इससे यह बात साफ़ हो जाती है कि मधुमेह बीमारी नए युग के लोगों को तेज़ी से अपनी चपेट में ले रही है, जो आने वाले दिनों में बड़ा ख़तरा है।

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज में अंतर

टाइप 1 मधुमेह की बीमारी तब पैदा होती है, जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन हो जाता है। यह आमतौर पर माता-पिता से विरासत में मिलता है, यदि उनमें से किसी को टाइप-1 मधुमेह है। इसके अलावा आपकी आहार और जीवनशैली भी इसे प्रभावित कर सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2017 में टाइप-1 मधुमेह वाले मरीज़ों की संख्या 9 करोड़ से अधिक थी और इसमें अधिकांश लोग उन देशों में रहते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। टाइप-2 मधुमेह के लक्षण तेज़ी से दिख सकते हैं और इसका उपचार इंसुलिन के साथ किया जाता है।

इसके अलावा टाइप-2 मधुमेह में इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं होता और लक्षण हल्के हो सकते हैं। जो समय से पहले पता नहीं चलते। यह बीमारी शरीर को इंसुलिन का सही तरीक़े से उपयोग करने से रोकती है और अक्सर वयस्कों में होती है, लेकिन आजकल यह बच्चों में देखी जा रही है। टाइप-2 मधुमेह के लक्षण प्यास, थकान, वज़न का बढ़ना या कम होना शामिल हो सकते हैं। इसे प्रबंधित करने के लिए उचित आहार, व्यायाम और दवाओं का सही संयोजन करना आवश्यक होता है।

बचाव के लिए क्या करें

मधुमेह से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जीवनशैली में सुधार करें। सही समय पर खाना खाएं, ठीक से सोएं और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें। मादक पदार्थों से भी दूर रहें। ■■

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

कामयाबी के लिए करियर प्लानिंग

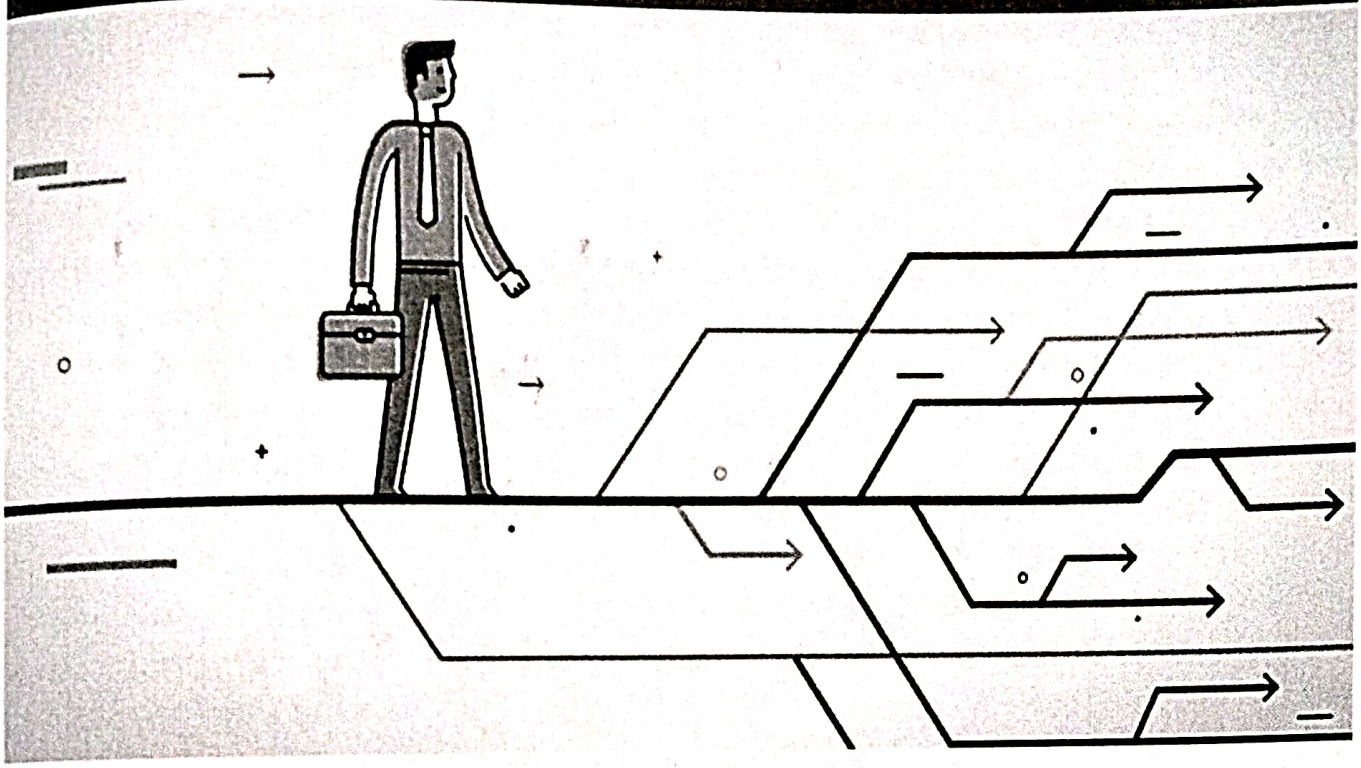

करियर को सफल बनाने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, इसके लिए लोग देश-विदेश के अच्छे कॉलेज से एजुकेशन हासिल करने के लिए लाखों रुपऐ ख़र्च कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जो पूरी मेहनत के साथ प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है करियर की अच्छी तरह से प्लानिंग न करना। ऐसे लोगों से सफलता अक्सर दूर रहती है। दरअस्ल, जब कोई व्यक्ति करियर शुरू करता है तो ख़ुद की आवश्यकताओं, क्षमता, रुचि के आधार पर जॉब हासिल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। किसी भी कंपनी में करियर पथ व्यक्ति के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को पोस्ट के आधार पर कार्य करना पड़ता है। समस्या यहीं से शुरू होती हैं। इसलिए



करियर प्लान करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। करियर प्लानिंग एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने करियर गोल के लिए रास्ता बनाता है।

क्या है करियर प्लानिंग?

एजुकेशन के बाद लोग अपना करियर किसी संगठन, कंपनी व अपने द्वारा चुने हुए किसी ख़ास फील्ड में बनाते हैं। किसी संगठन के भीतर करियर प्लानिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का वह हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे रास्तों को विकसित करना है, जहां कर्मचारी समय के साथ संगठन में आगे बढ़ सके। किसी भी कंपनी में करियर पथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, बल्कि जॉब करने वाले व्यक्तियों के पास ख़ुद की अपनी आवश्यकताओं, क्षमता, रुचि आदि के आधार पर अपना रास्ता बनाना पड़ता है। पिछले 2 सालों में जॉब मार्केट में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें लोगों का करियर ग्राफ़ रोलर कोस्टर की तरह रहा है।

जॉब सिक्योरिटी, हर साल प्रमोशन और वेतन वृद्धि अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इकोनॉमी की कमज़ोरी के दौर में जॉब मार्केट में भी अनिश्चितता एक अपरिहार्य स्थिति हो चुकी है। इसलिए करियर की एक बेहतर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। यहां हम कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं।

पहले ख़ुद को समझें

करियर प्लानिंग करने से पहले ख़ुद को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने लिए कुछ समय निकालें और

उन सभी कामों की सूची बनाइए, जो आप करना चाहते हैं। फिर, उन चीज़ों की सूची बनाइए, जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आप ख़ुद को समझकर अपने सही जुनून का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं।

मौजूदा जॉब प्रोफाइल का आकलन करें

इसके बाद आपको अपना करियर गोल सेट करने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने मौजूदा जॉब प्रोफाइल का आकलन कर सकते हैं। जब आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो वह सबसे पहले आपके वित्तीय लक्ष्य के बारे में जानना चाहता है। इसी तर्ज़ पर आप अपने मौजूदा रोल और उसके भविष्य पर विचार करें। आपकी कंपनी ज़रूर तिमाही या छमाही समीक्षा करती होगी, आप अपने लिए चुनौतियों की जल्द समीक्षा करें।

लंबी अवधि के करियर प्लान पर करें फोकस

जिस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं, अगर वहां आप अगले 4-5 साल में लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं तो इस पर फोकस करें। एक बार उद्देश्य चुन लेने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या कुशलता होनी चाहिए, इसकी पहचान करें। आप यह जानने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति इस समय उस पोज़ीशन पर है उसका रिज्यूम कैसा दिखता है। क्या उसमें कोई ऐसी कुशलता है जिसे आपको सीखना चाहिए। लंबी अवधि के लक्ष्य को पाने के लिए आपको कई फंक्शन में काम करना आना चाहिए। लंबी अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको छोटे-छोटे लक्ष्य को पूरा करने की ज़रूरत है।

सीखें और अपनी कुशलता बढ़ाएं

कोरोना के बाद जिस तरह से जॉब मार्केट में अस्थिरता है और वर्क प्लेस की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, उस हिसाब से नई कुशलता सीखना करियर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। करियर में जीवन भर आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से आप यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हफ़्ते में 5-6 घंटे का समय निकालकर आपने काम के हिसाब से आधुनिक कुशलता सीख सकें तो आप अपनी जॉब जाने के जोखिम को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। आसानी से नई चीज़ें सीखने की आपकी क्षमता भी आपको जॉब मार्केट में बनाये रखने में मददगार साबित होती है।



सीखे हुए स्किल को यूज़ करें

आप जब भी नई चीज़ें सीखते हैं तो उन्हें यूज करने के मौक़े तलाशें। आप अपने संस्थान के भावी प्रोजेक्ट में काम करने की संभावना तलाशें और उसमें अपने स्किल का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए आज के समय में डिजिटल अवरोध से हर कंपनी जूझ रही है और इससे निपटने के लिए टीम बना रही हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कंपनी आपको इसमें हर संभव मदद करती है।

निर्देश लें

जिस कंपनी में भी आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपके लीडर का आपके कार्य क्षमता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप लीडर के संपर्क में रहेंगे, जिस पद पर पहुंचना आपका लक्ष्य है, तो सबसे बेहतर यह है कि उसी से ट्रेनिंग लें। उसके उम्र, अनुभव आदि से प्रभावित न हों और जिससे सीखने का मौक़ा मिले, उससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखें। नई तकनीक सीखने के लिए आपकी टीम का सबसे छोटा सदस्य भी सबसे अच्छा टीचर हो सकता है। अगर आपका संस्थान मॉनिटरिंग पाने के मौक़े दे रहा है तो यह सबसे अच्छा विकल्प रहेगा।

लोगों से कनेक्शन बनाना सीखें

आपका जॉब सेक्टर कोई भी हो, लोगों से कनेक्शन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपने कनेक्शन को मज़बूत करते रहें। अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं और ऐसे लोगों से संपर्क करें, जो करियर में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। साथ ही अपने स्कूल-कॉलेज के पुराने नेटवर्क भी दुरुस्त रखें। क्या पता, कब कौन काम आ जाए।

एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं

करियर को ग्रोथ देने के लिए एक एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं। प्लान बनाते समय अपनी एजुकेशन, क्षमता व करियर ग्रोथ का अच्छे से आकलन कर लें। अपनी उम्मीदों को हमेशा ऊंचा रखें लेकिन उसे व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। इस प्लान के आधार पर ख़ुद को डेवलप करते हुए आगे बढ़ें।

■■

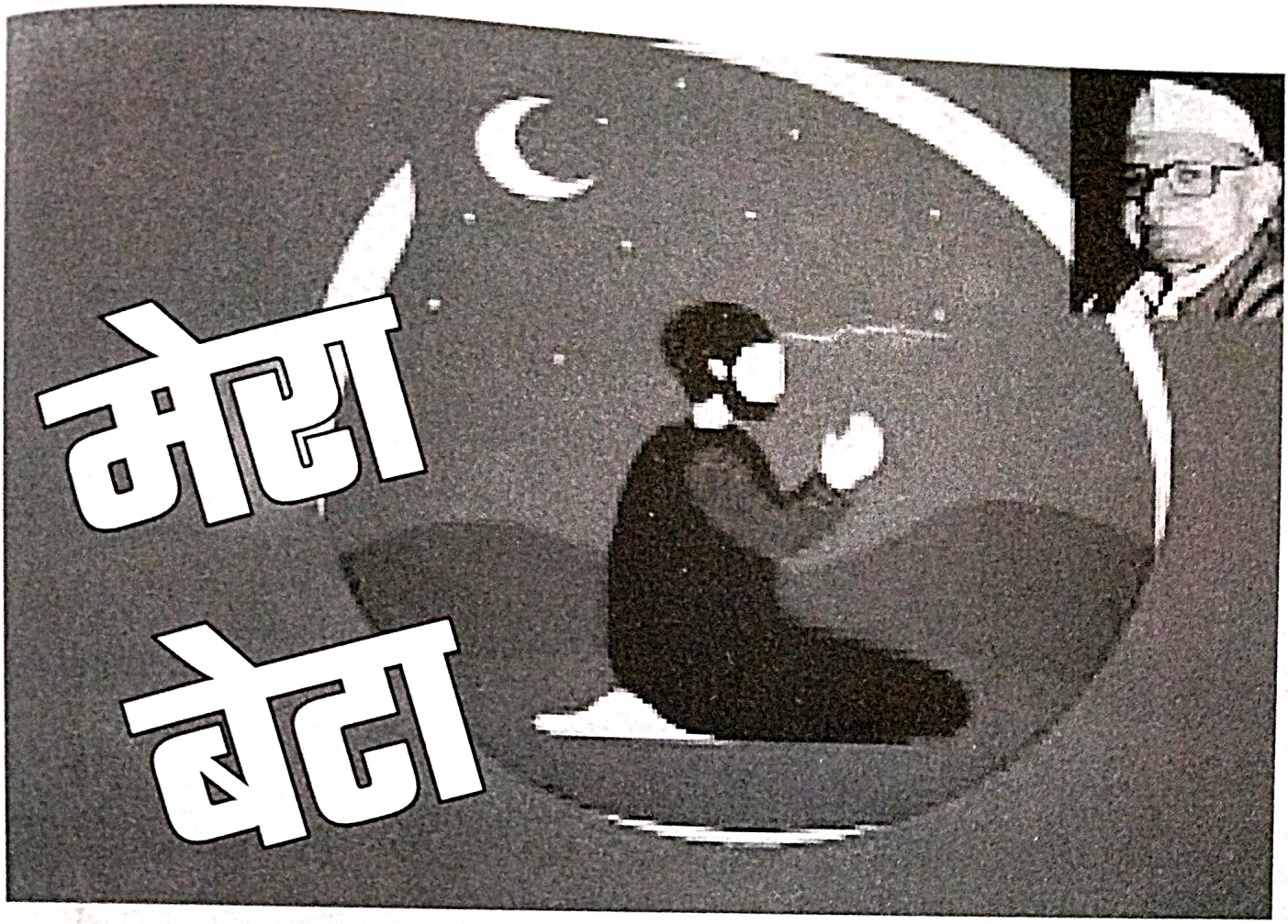

सिविल अस्पताल का नया सर्जन डॉक्टर हसन जैसे ही कमरे में दाख़िल हुआ उसने किवाड़ बन्द कर लिए। ठंडी हवा का झोंका साथ-साथ अन्दर घुस आया था, क्षणभर के लिए उसके पिता को कंपाता हुआ ग़ायब हो गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस खींची और हाथ के दस्ताने उतारते हुए कहा, "अच्छा, बड़ी ख़तरनाक हालत है।''

अब्बा जो पलंग पर लेटे थे, 'हूं' करके रह गये। डॉक्टर ने चुपचाप ओवरकोट उतारा और खूंटी पर टांग दिया, फिर अंगीठी के पास जा खड़ा हुआ, बाहर सनसन करती हुई हवा चल रही थी और उस ठंड को जिसके पेड़े खाते हुए वह अभी लौटा था, याद करके उसे अब भी कंपकंपी आ जाती थी। एकाएक अब्बा बोल उठे, 'अब तक कितने आदमी मर चुके होंगे?'

डॉक्टर ने जवाब दिया, 'अस्पताल में कुल तीस लाशें आयी है।'

'और ज़ख़्मी ?'

'सौ हो सकते हैं।'



'मुसलमान ज़्यादा होंगे?'

डॉक्टर क्षण भर रुका, फिर हाथों को मलता हुआ बोला, 'कुछ नहीं कहा जा सकता।'

'फिर भी?'

वह झिझका, जैसे कुछ सोचना चाहता हो। अब्बा, तब तक उसके मुंह की तरफ़ देखते रहे। उसने हाथों को आग के आगे किया और कहा, 'हो सकता है, हिन्दू ज़्यादा हों।' फिर कई क्षण कोई नहीं बोला। सिर्फ़ हवा दरवाज़े पर थपेड़े मारती रही। अब्बा के मुख पर अनेक भाव आये और गये, उनके तने हुए चेहरे की नसें और भी तन गयीं, एकाएक बैठे-बैठे उन्होंने कहा, 'तो कोई उम्मीद नहीं?'

'किस बात की?' हसन ने चौंककर पूछा।

'फ़ैसले की।'

'फ़ैसला?' डॉक्टर ज़बरदस्ती मुस्कराया और फिर जोश में बोला, 'अब्बा, हज़ार साल इस तरह लड़ते रहने पर भी फ़ैसला नहीं हो सकता। अस्ली बात यह है कि वे फ़ैसला करना ही नहीं चाहते, वे लड़ना चाहते हैं और लड़ते रहेंगे, इसीलिए वे एक-दूसरे की

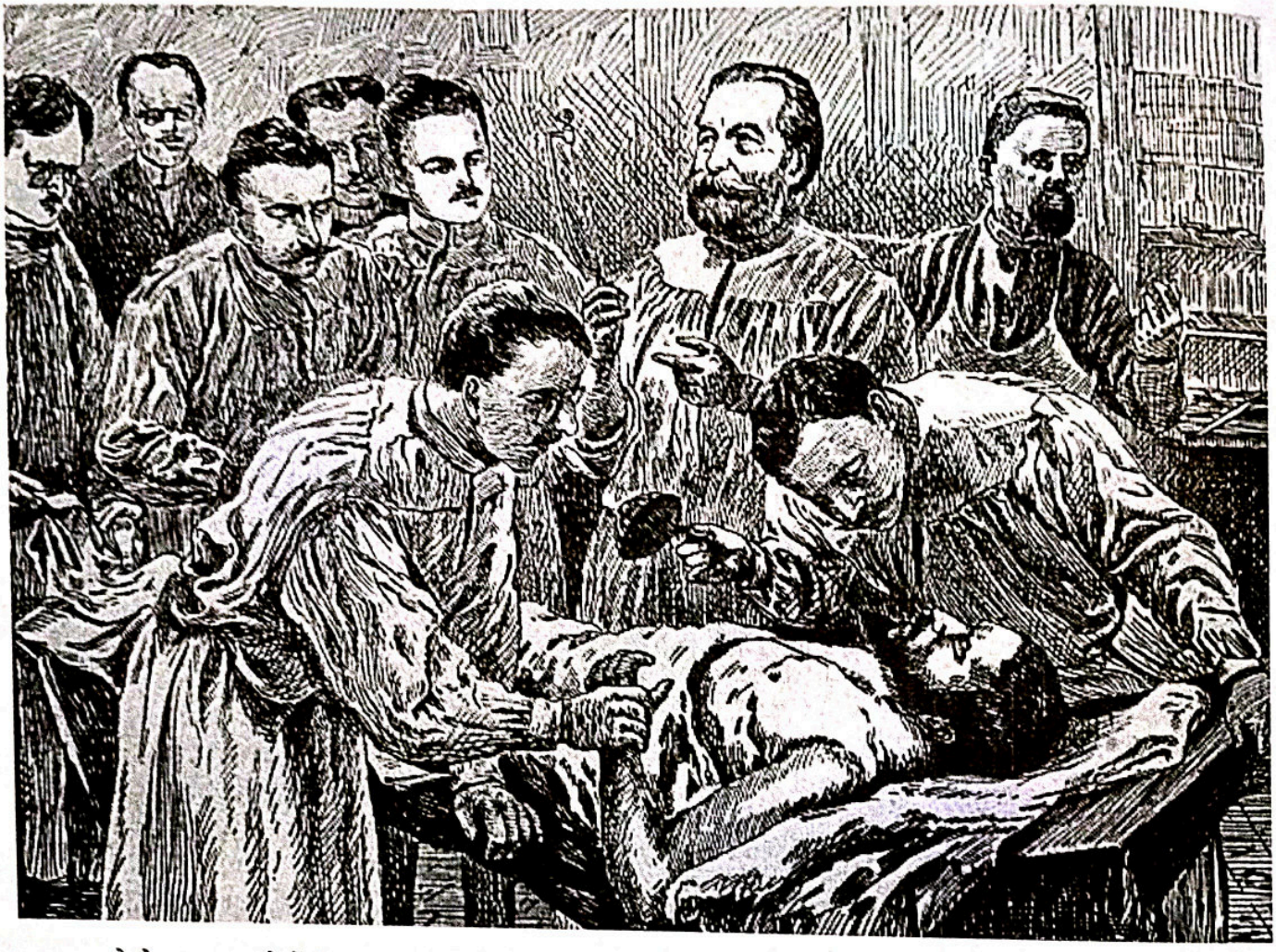

बात समझने से इन्कार करते हैं।'

'इन्कार करते हैं?'

'हां अब्बा, मैं तो इसे इन्कार करना ही मानता हूं। समझना चाहें तो झगड़ा ही क्या है?'

अब्बा ने एक बार अपने बेटे को देखा, फिर कहा, 'शायद तुम ठीक कहते हो।'

'शायद नहीं अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं।' तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर चौंका।

पूछा, 'कौन है?'

जवाब आया, 'जी अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने आपको बुलाया है।'

'क्यों?'

'एक नया केस आया है, साब।'

'तो?'

'साब, उन्होंने कहा है, ज़ख़्मी की हालत ख़तरनाक है, आपका आना ज़रूरी है।'

'अब्बा ने सुनकर ग़ुस्से से कहा, 'क्या वाहियात बात है, अभी आये हो। खाना न पीना। मरने दो उसको।'

डॉक्टर बोला, 'मरना तो है ही अब्बा, आज मौत के फ़रिश्ते ने हम सबको अपने परों के साये में समेट लिया है।

और फिर किवाड़ खोले, ठंडी हवा तेज़ी से अन्दर घुसी, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, 'खाना खा सकता हूं?'

आने वाला अस्पताल का जमादार था, सकुचाते हुए जवाब दिया, 'साब, वह तो जल्दी बुलाये हैं।'

डॉक्टर ने लंबी सांस खींची, कहा, 'अच्छा तो कह दो, अभी आता हूं।' और उसने जल्दी से किवाड़ बन्द कर लिये, सीधे अंगीठी के पास आया और कहा, 'ख़ून जमा देने वाली सरदी पड़ रही है, और वे लोग लदे जा रहे हैं, वहशी, हैवान, दोज़ख़ी, कुत्ते...।' साथ ही साथ दस्ताने पहनता रहा फिर ओवरकोट उठाया और चलते-चलते कहा, 'मैं कहता हूं अब्बा, वे हैवान हैं, वे फ़ैसला नहीं कर सकते।'

अब्बा अगरचे क्रोध में भरे हुए थे पर न जाने क्या हुआ कि हसन की बात सुनकर हंस पड़े। 'बोले, हैवान बड़ी जल्दी फ़ैसला करता है, बेटे।'

वह कुछ जवाब देता कि इस बार अन्दर के दरवाज़े पर आहट हुई, यह मुड़ा देखा, सामने उसकी बीवी खड़ी है। उसने गरम साल लपेट रखी है और उसके सुन्दर मुख पर क्रोध भरी मुस्कराहट है। पास आने पर वह कुछ नाराज़गी से बोली, 'अभी आये और चल दिये, क्या मुसीबत है?'

'ख़ुदा जाने क्या होने वाला है,

बेगम।'

'खाना नहीं खाओगे?'

'कैसे खाऊं, बुलावा आ गया है।'

बेगम के हाथ में कुछ बिस्कुट थे, उन्हें डॉक्टर के ओवरकोट की जेब में डालते हुए कहा, 'चाय तो पी लेते'।

डॉक्टर मुस्कराया बोला, 'तुम बहुत अच्छी हो, बेगम।'

और फिर उसके मुंह पर आयी हुई एक लट को पीछे करते हुए वह जल्दी से मुड़ा और कहा, 'अब नहीं रुक सकता, बेगम। देर हो गयी तो शायद पछताना पड़ेगा।'

बेगम ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसका सुन्दर मुखड़ा परेशानी से उदास हो गया था। दुखी मन से उसने डॉक्टर को जाते देखा और देखती ही रह गयी। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर जल्दी-जल्दी क़दम रखता हुआ बाहर निकल गया। बूटों की आवाज़ के साथ सनसनाती हुई हवा तेज़ी से उठी और फिर धीमी पड़ने लगी। चटकनी लगाकर अब्बा फिर पलंग पर आ बैठे, तभी पास के कमरे से एक हल्की लड़खड़ाती हुई आवाज़ आयी। डॉक्टर हसन के बाबा ने पूछा, 'अनवर हसन आया था, अब फिर कहां गया है?

'अस्पताल!'

'क्यों?'

'क्यों क्या कोई और ज़ख़्मी आ गया है, यह काफ़िर न जीते हैं न जीने देते हैं।'

बात इतनी तल्ख़ी से कही गयी थी कि बाबा कुछ जवाब नहीं दे सके, नौकर पास बैठा था, उससे कहा, जा, पूछ तो उसने कुछ खाया कि नहीं, और कुछ न हो तो बिस्कुट वग़ैरह लेकर वहीं दे आ, जा...।'

उधर डॉक्टर हसन जैसे ही अस्पताल में दाख़िल हुआ, डॉक्टर शर्मा



और फिर अब्बा की ओर मुड़कर कहा, 'अब्बा, वाकई यह बड़ा ख़तरनाक केस था, लेकिन उम्मीद है कि वह बच जाएगा। शर्मा और मैं अब तक उसी पर लगे थे।'
शर्मा ने हसन के अब्बा को आदाब अर्ज किया। जवाब देकर अब्बा बोले, 'कौन है?'
'कोई बड़ा आदमी है।'
'एक हिन्दू है। अच्छे घर का जान पड़ता है।'
'यहीं का रहने वाला है?'
शर्मा ने कहा, 'जी नहीं, परदेसी है। जो कागजात उसकी जेब में मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वह कानपुर का रहने वाला है और उसका नाम राम प्रसाद है।'
अब्बा एकाएक चौंके, 'क्या... क्या बताया... राम प्रसाद... कानपुर...?'
'जी।'

ने बेचैनी से कहा, 'हसन, तुम आ गये, जल्दी करो, वह कमरा नम्बर छह में है और ऑपरेशन का सामान तैयार है।'

हसन ने ज़रा शिकायत भरे ढंग से कहा, 'ऐसी क्या बात है, खाना तक नहीं खाने दिया।'

'क्या करूं हसन, हम लोगों का काम ही ऐसा है।' 'केस क्या बहुत सीरियस है?'

'हां, केस बहुत सीरियस है हसन, उसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जिस पर चोट न आयी हो। चोट भी ऐसी है कि देखकर दिल कांप उठता है।'

'होश में है?'

'आह, होश? मुझे अचरज है कि वह ज़िन्दा कैसे है?'

'क्या उसका ज़िन्दा रहना ज़रूरी है? हसन ने उसी तरह कहा, 'उसके मर जाने पर क्या दुनिया मिट जाएगी?'

शर्मा बोला, 'मैं जानता हूं, पर जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक उसे ज़िंदा रखने का बोझ हम पर आ पड़ा है, क्या करें?'

वे चल रहे थे और बातें भी करते जाते थे। वे घायलों के वार्ड में दाख़िल हो चुके थे और दर्द-भरी चीख-पुकारें

सुनायी पड़ने लगी थीं, दरवाज़ा खोलते-खोलते हसन ने पूछा, 'यह कौन है?'

'एक बूढ़ा हिन्दू है।' 'यहीं का रहने वाला है?' 'नहीं, परदेसी है। जेब में जो काग़ज़ मिले हैं उनसे पता लगता है कि वह कानपुर का रहने वाला है और उसका नाम राम प्रसाद है।'

हसन ने धीरे से दोहराया, 'राम प्रसाद, कानपुर बस?'

उन लोगों ने कपड़े बदले और फिर नर्सों और कम्पाउंडरों में घिरे हुए उस ज़ख़्मी के ऊपर झुक गये, जो बीसों ज़ख़्म खाकर ऑपरेशन की मेज़ पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी सांस बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी और अधखुली आंखें दिल में डर पैदा करती थीं।

ऑपरेशन ख़त्म करके जब वे बाहर निकले तो पूरे पांच घंटे बीत चुके थे। वे बेहद थक चुके थे और उनके तमाम बदन में दर्द हो रहा था। वे उस हवा में इतने डूब चुके थे कि दूर तक साथ-साथ चलते रहने पर भी वे एक-दूसरे से नहीं बोले। शाम हो चुकी थी, पर हवा की सनसनाहट उसी तरह गूंज रही थी। उसके थपेड़े खाकर वे कभी कोट का कालर ठीक करते, कभी क़दम तेज़ करके गर्मी पैदा करना चाहते। उसी वक़्त एकाएक डॉक्टर शर्मा ने धीरे से कहा, जैसे नींद में बड़बड़ाते हों, 'कैसा अजीब केस है।'

डॉक्टर हसन ने भी धीरे से कहा, 'पर मुझे ख़ुशी है, हम उसे बचा सकेंगे।'

'शायद।'

'नहीं शर्मा', हसन ने पूरे भरोसे से कहा, मुझे यक़ीन होता है, वह बच जाएगा।'

डॉक्टर शर्मा ने हसन की ओर देखा फिर मुस्कराकर कहा, 'तुम्हें यक़ीन होता है, क्योंकि तुमने उसके लिए परिश्रम किया है।'

'यह केस ही ऐसा था, उसे देखकर मुझे लगा कि इसे बचाना चाहिए...।'

'क्योंकि उसके बचने में तुम्हारे इल्म का इम्तिहान है।'

डॉक्टर हसन ने एकाएक डॉक्टर शर्मा को देखा। उसे जाना पड़ा, वह ठीक कह रहा है, केस जितना ख़तरनाक था, उसको बचाने का ख़याल भी उतना ही ज़्यादा था।

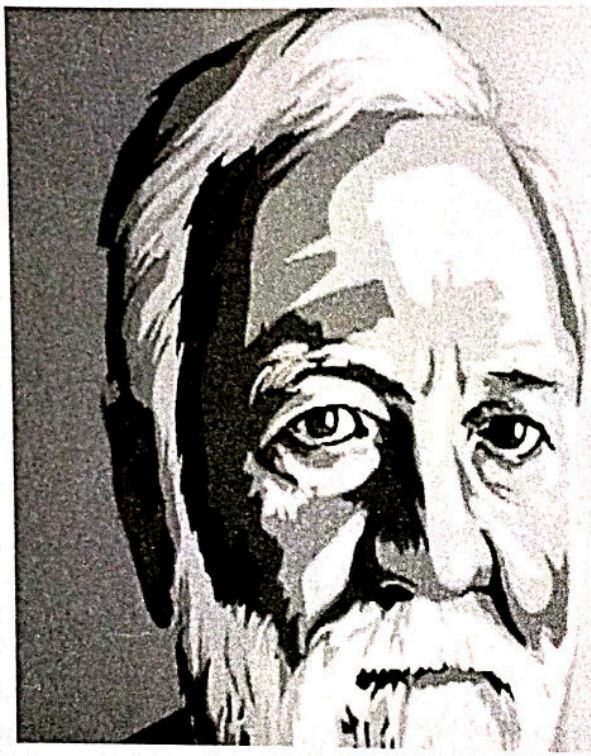

यह जानकर डॉक्टर हसन को गहरा संतोष हुआ और उसने ख़ुश होकर कहा, 'मेहनत तो तुमने भी की है, शर्मा।'

'पर तुम्हारी तरह नहीं।' हसन ने इस बात का जवाब नहीं दिया, पहले की तरह चुपचाप चलता रहा। उसका पर सामने दिखायो पड़ रहा था। उसी को देखकर वह बोला, 'मैं समझता हूं घर जाने में पहले तुम एक प्याली चाय पीना पसन्द करोगे।'

शर्मा ने मुस्कराकर कहा, 'ज़रूर करूंगा। सारा बदन टूट रहा है।'

हसन हंसा और बोला, 'और इस बात की क्या गारंटी है कि हमें अभी फिर उसी कमरे में नहीं लौटना पड़ेगा?'

'हां, कौन कह सकता है?'

'लेकिन शर्मा, उस आदमी का पूरा पता मालूम होना चाहिए। देखने में किसी बड़े घर का जान पड़ता है।' शर्मा ने उसी तरह कहा, 'मैंने पुलिस को पूरी रिपोर्ट दे दी है। वह पता लगा लेगी और न भी लगे तो क्या है, न जाने कौन-कौन मरता है।'

'वह नहीं मरेगा, शर्मा। उस पर आज मैंने बाज़ी लगायी है।'

शर्मा मुस्कराया, 'तब और भी ज़रूरत नहीं है।'

घर आ गया, किवाड़ खोलते हुए डॉक्टर हसन ने कहा, 'बैठो शर्मा, मैं चाय के लिए कहता हूं।'

और फिर अब्बा की ओर मुड़कर कहा, 'अब्बा, वाक़ई वह बड़ा ख़तरनाक केस था, लेकिन उम्मीद है कि वह बच जाएगा। शर्मा और मैं अब तक उसी पर लगे थे।'

शर्मा ने हसन के अब्बा को आदाब अर्ज़ किया। जवाब देकर अब्बा बोले, 'कौन है?'

'कोई बड़ा आदमी है।'

'एक हिन्दू है। अच्छे घर का जान पड़ता है।' 'यहीं का रहने वाला है?'

शर्मा ने कहा, 'जी नहीं, परदेसी है। जो काग़ज़ात उसकी जेब में मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वह कानपुर का रहने वाला है और उसका नाम राम प्रसाद है।'

अब्बा एकाएक चौंके, 'क्या... क्या बताया... राम प्रसाद... कानपुर...?'

'जी।' ■■

आध्यात्म की अन्तिम पुस्तक

आख़िरी पन्ना



वी गोडविन
वाइल्ड

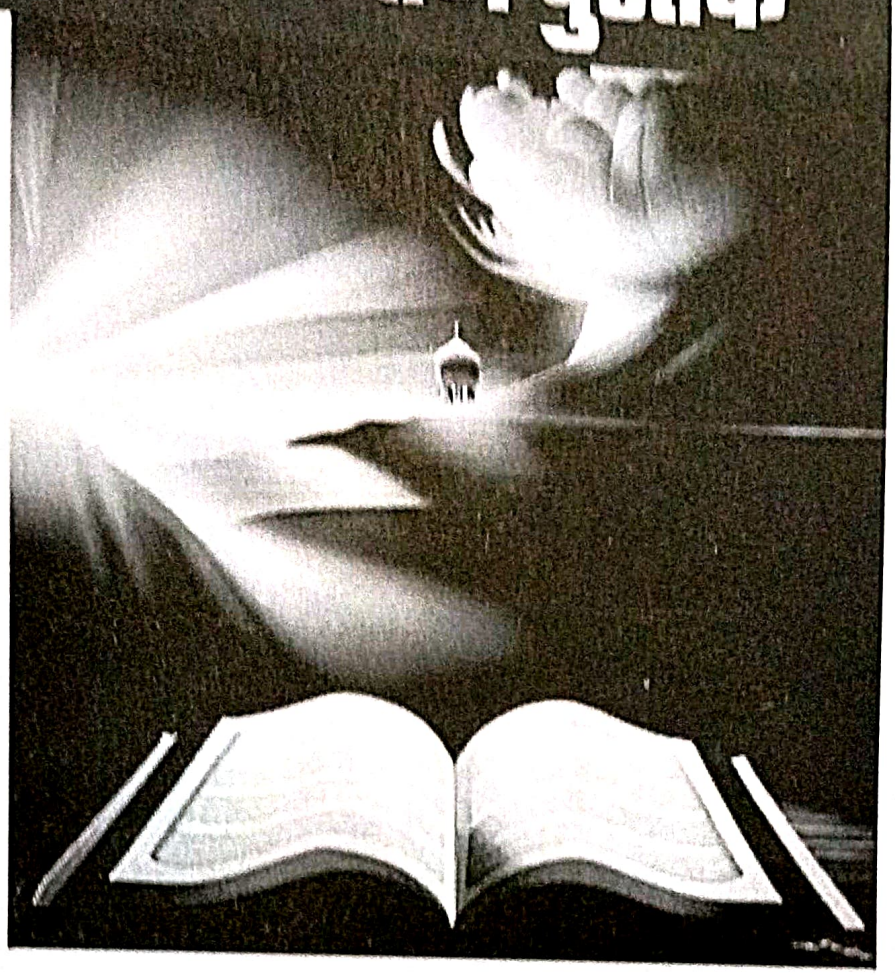

बहुत से लोग इस्लाम को धर्म के रूप में जानते है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आन्दोलन की दृष्टि से उसका अध्ययन किया है। संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों में इस बात को इस तरह अदा किया जा सकता है कि इस्लाम संसार के समस्त धर्मों में निराला है। वह एक इतिहास भी है और एक प्रबल आन्दोलन भी। वह राजनीति भी है और सामाजिकता भी। वह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी है और आध्यात्म की अन्तिम पुस्तक भी, वह दीन (धर्म) और दुनिया का ऐसा योग है जो वास्तव में दुनिया के समस्त धर्मों से अपेक्षा रहित कर देता है।

क़ुरआन का अध्ययन करने के पश्चात यह बात माननी पड़ेगी कि उसका रचयिता चाहे कोई हो अपने युग ही का नहीं, बल्कि बहुत से युगों का एक बड़ा शिक्षक है। क़ुरआन का रचयिता अपने प्रत्येक विषय में इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि कोई दावा बिना प्रमाण के न हो। वह बार-बार बुद्धि पर भरोसा करने पर बल देता है। बुद्धि से काम न लेने वालों को पशु कहता है और बुद्धि को ही वास्तविकताओं की कसौटी ठहराता है और कोशिश करता है कि अंधविश्वास से दूर रहे और व्यर्थ बातों को नाम मात्र को भी अपने विचारों में न आने दे। उसके सोचने का ढंग उस तत्वदर्शी से मिलता-जुलता है जो केवल विश्व पर विचार करता है और उसको नतीजा निकलता है। क़ुरआन को यह विशेषता पहले तो मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है, फिर उसे अपनी ओर खींचती है और अंत में उसे अपना शासित बना लेती है

इतिहासकारों को यह बात समझने में बहुत ज़्यादा कृत्रिमता से काम लेना पड़ा है कि अरब के असभ्य मानवों ने बग़दाद और स्पेन में ज्ञान और कला की बुनियाद किस प्रकार डाली ? वे अरबों के ज्ञान और उनके रुझान को देखकर आश्चर्यचकित होकर रह गये, लेकिन यह बात न समझ सके कि उनके इस रुझान और मनोवृत्ति के प्रेरणाधार क्या थे? किसी ने कोई कारण बयान किया, किसी ने इसे संयोग के सिर थोप दिया और किसी ने यूनानी विद्यालयों को इसका प्रेरक बताया। हालांकि यूनानी विद्याओं की ओर झुकाव भी उसी जाति का हो सकता है जो पहले से बौद्धिक विद्याओं का रसास्वादन कर चुकी हो।

लेकिन यदि ये इतिहासकार क़ुरआन से परिचित होते तो उन्हें दूर की बातें बनाने की आवश्यकता न होती। कारण स्पष्ट है कि क़ुरआन बुद्धि का समर्थक है। अब बात बिल्कुल साफ़ है कि जिस जाति का धर्म बौद्धिक और प्रमाणिक हो वह विज्ञान और समाज

संबंधी विद्याओं की विरोधी नहीं होगी। बल्कि धार्मिक दृष्टि से विज्ञान का पृष्ठपोषण उसका कर्तव्य होगा। यदि क़ुरआन बुद्धि की उपयोगिता का समर्थक न होता तो मुसलमान भी विद्याओं के अभिभावक न बनते और स्पेन के मार्ग से विज्ञान का दीप कभी यूरोप में प्रकाशमान न हो सकता...।

हमारी सभ्य दुनिया में आर्ट को महत्व प्राप्त है। वह हमारे चरित्र का अंग बन चुका है। मगर दुनिया को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि क़ुरआन में आर्ट के लिए कोई स्थान नहीं। जिन लोगों ने सौंदर्योपासना में जीवन व्यतीत किया है और जिनको उसे उन्नति देने पर गर्व है वे निश्चय ही इस्लाम से निराश होंगे कि उसमें उनकी रुचि की कोई चीज़ नहीं, लेकिन धन्य है क़ुरआन का रचयिता कि उसने चरित्र और आचरण की उन समस्त बुराइयों को चुनौती दी जो आर्ट के नाम से हमारे समाज को पथभ्रष्ट कर रही हैं और इसकी क़द्र उस समय मालूम होगी जब एक लंबी अवधि के पश्चात आर्ट की बुराइयां जीवन के धरातल पर आ जाएंगी और हमारी नयी नस्लों को घुन लगा देगी।

हमारा आर्ट क्या है? मन की पथभ्रष्टता, नैतिक कुटिलता, मनोवृत्ति की अशांति, यौन स्वच्छन्दता, भोग विलास की निरंकुशता और पुरानी बुराइयों को छिपाने का एक उपाय।

क़ुरआन ने मूर्ति पूजा का निषेध और निन्दा करके आर्ट के आधे भवन को ढा दिया, क्योंकि आर्ट का बहुत बड़ा भाग प्राचीनकाल की मूर्तियों और चित्रों की लज्जाजनक यादगार है और उन यौन संबंधी संपर्कों का स्मारक है, जिन पर सौंदर्यवाद का खोल चढ़ा हुआ है। क़ुरआन दिव्य सौंदर्य का दर्पण अवश्य है अश्लीलता का शिक्षक कदापि नहीं है।

आजकल आर्ट और माधुर्य कलाओं की बड़ी क़द्र है, लेकिन जब समय आएगा, आर्ट की बुराइयां ज़ाहिर होंगी और उसकी पूर्वदर्शिता एक वास्तविकता के रूप में सामने आ जाएगी। (आज बड़ी हद तक सामने आ गयी है।)

क़ुरआन ने जिन अनिवार्य कर्मों पर प्रकाश डाला है उन्हें पढ़कर विश्वास हो जाता है कि उसके रचयिता ने दीन (धर्म) और दुनिया को समोने का सफल प्रयत्न किया है। नमाज़ पांच वक़्त पढ़ी जाती है जो जीवन की एक निरंतर गति है। एक अनदेखी सत्ता से संबंध पैदा करना और उसके द्वारा दुनिया के साथ उसकी स्थिति के अनुसार व्यवहार करना नमाज़ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और विचार में नहीं आ सकता कि इससे उत्तम उपासना का कोई और तरीक़ा हो सकता है।

क़ुरआन ने जिन अनिवार्य कर्मों पर प्रकाश डाला है उन्हें पढ़कर विश्वास हो जाता है कि उसके रचयिता ने दीन (धर्म) और दुनिया को समोने का सफल प्रयत्न किया है। नमाज़ पांच वक्त पढ़ी जाती है जो जीवन की एक निरंतर गति है। एक अनदेखी सत्ता से संबंध पैदा करना और उसके द्वारा दुनिया के साथ उसकी स्थिति के अनुसार व्यवहार करना नमाज़ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और विचार में नहीं आ सकता कि इससे उत्तम उपासना का कोई और तरीक़ा हो सकता है।

क़ुरआन ने राजनीति में कोई कमज़ोरी नहीं दिखायी। राजनीति के प्रत्येक अंग में वही बल और प्रभाव है जो उसकी स्वाभाविक मांग है। सबसे बड़ी बात यह है कि क़ुरआन ने ख़िलाफ़त, ईश-भय, लोक सेवा और आख़िरत की कल्पना से राजनीति को विलग नहीं रखा और यही वह चीज़ है, जिससे वर्तमान राजनीति वंचित है और इस वंचितता ने दो महायुद्धों का तमाशा दिखाया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यूरोप के समझौते, यूरोप के सुरक्षा संबंधी उपाय असफल रहेंगे, यदि उसके मूल में ईश-कल्पना और नैतिक मूल्यों को स्थान न दिया गया। जहां विश्व शांति के लिए बहुत से उपाय किये जा चुके हैं, वहां धर्म के इस उपाय की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि इसके लिए कोई तैयार हो तो मेरा परामर्श होगा कि वह इस सिलसिले में क़ुरआन को कदापि न छोड़े, क्योंकि इसका पथ-प्रदर्शन इस ग्रंथ से बढ़कर कोई और ग्रंथ नहीं कर सकता।...

खेद का विषय है इस्लाम के आदर्श राज्य के लिए अब तक किसी ने कोशिश नहीं की। मिस्र, तुर्की, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान आदि मुस्लिम देशों को उस स्टेट से कोई संबंध नहीं जिसका उदाहरण तेरह शताब्दी पूर्व उमर (रज़ि.) ने प्रस्तुत किया था। क़ुरआन स्टेट और मुस्लिम स्टेट में अन्तर न करने के कारण लोग बहुत-सी ग़लतफ़हमियों में पड़ जाते हैं। जहां तक राजनीतिक बल का प्रश्न है तो वह स्वयं यूरोप के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है। ■■

अपील बराए ताअवुन

1978 से दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध और अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान, उन भाग्यशाली लोगों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र, जिन्होंने पैग़ाम ए हक़ से प्रेरित होकर इस्लाम में शरण ली है।

अराजकता और विनाश के दौर में आपके समर्थन और ज़कात व सदक़ात का बेहतर उपयोग।

इस्लामिक सेंटर वेल्लोर

THE QURAN
THE GUIDANCE FOR MANKIND

A/C DETAILS

BANK:
BANK OF INDIA
VELLORE BRANCH
A/C NO: 333001010019006
IFSC: UBIN0533301

Scan to Pay

ADDRESS

ISLAMIC CENTRE
#19/4, MADAR SAHEB STREET
R N PALYAM
VELLORE, 632001
DIST: VELLORE, TAMIL NADU

KANTI Monthly, New Delhi
APRIL 2024
Posted on 20-21 March 2024
Published on 18 March 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
Total Pages with Cover: 52

"तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।"

(कुरआन, 24:22)

A Well Wisher

Ashaz Khan (Goa)